सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2021-22

वन विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2021-22

वन विभाग, राजस्थान

forest.rajasthan.gov.in

मुख्य पृष्ठ : सारस क्रेन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर • छाया: अरिजीत बनर्जी (IFS)

सत्यमेव जयते

डॉ. डी.एन पाण्डेय IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान अरण्य भवन,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र,जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

जैवविविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप व राज्य वन नीति 2010 के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु प्रदेश में वन सवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप एक ओर प्रदेश के वनक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है साथ ही वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ पारिस्थिति पयर्टन के सम्भवनाओं मे भी वृद्धि हुई है।

भारतीय वन संर्वेक्षण विभाग की नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में गत रिपोर्ट 2019 के सापेक्ष 25.45 वर्गकिमी तथा वृक्षावरण 621 वर्ग की.मी. की वृद्धि वन संर्वधन हेतु किये गये सार्थक प्रयासों का द्योतक है। वन विभाग गत अनेक वर्षो से प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष भी प्रदेश में वन एवं वन क्षेत्रों के बाहर 32442.57 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 118.223 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं।

औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में औषधीय पौधों के सरंक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर–घर औषधि योजना के अन्तर्गत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने व आमजन को वितरित किये जाने के प्रथम चरण के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण का प्रारंभ 2 अक्टूबर, 2021 को किया जा चुका है।

वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में किये गये विशेष प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर और सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ राज्य में बघेरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बघेरों के संरक्षण के लिये भी एक योजना ''प्रोजेक्ट लैपर्ड'' तैयार कर स्वीकृत की गई है। वन्यजीवों के पर्यावास संरक्षण की दृष्टि से वन क्षेत्र से लोगों के विस्थापन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन पैकेज में बढ़ोतरी कर 10.00 लाख के स्थान पर 15.00 लाख प्रति परिवार कर दिया गया हैं।

प्रदेश में लुप्तप्रायः पक्षियों के संरक्षण हेतु किये जा रहे विशेष प्रयासों में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के अतिरिक्त खरमोर (Lesser Florican) हेतु क्रमशः जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र तथा अजमेर जिले के सथाना गांव में स्थापित कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों से उत्साहवर्धक परिणाम आने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप गोडावण का प्रजनन संभव होना माना जा रहा है। राज्य सरकार, भारत सरकार व भारतीय वन्यजीव संस्थान के मध्य हुये त्रि–पक्षीय करार के अनुसार गोडावण के संरक्षण हेतु एक ''केप्टिव ब्रीडिंग सेन्टर'' की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सेटेलाईट फेसिलिटी जैसलमेर में की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में ईको–ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान ईको–ट्यूरिज्म पॉलिसी–2021 भी अधिसूचित कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोटा के अभेड़ा में जैविक उद्यान शुरू कर दिया गया है तथा बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाये जा रहे है।

वन्यजीव अपराधों के नियंत्रण एवं अनुसंधान के लिये वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरों द्वारा जारी एडवाईजरी एवं राज्य वन नीति 2010 के अन्तर्गत एक हाई लेवल इन्टर ऐजेन्सी कोर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है ।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2021–22 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख है। इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है। जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
A.	कार्यकारी सारांश	1–4
B.	वन विभागः एक नजर में	5
C.	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विति	6
D.	वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति	7–14
E.	जन घोषणा पत्र	15
	अध्याय	
1.	राजस्थान का वन संसाधन : एक परिचय	16–19
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली	20–27
3.	वन सुरक्षा	28–33
4.	वानिकी विकास	34–49
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	50–53
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	54–58
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	59–62
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	63–65
9.	वन अनुसंधान	66–69
10.	विभागीय कार्य योजना	70–72
11.	तेन्दू पत्ता योजना	73–75
12.	ई–गर्वनेंस एवं जी.आई.एस.	76–78
13.	मानव संसाधन विकास	79–82
	परिशिष्ठ	
(i)	जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण	83
(ii)	वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	84–87
(iii)	ईको सेन्सटिव जोन घोषित करवाने सम्बन्धित प्रगति	88–89
(iv)	राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति	90–91
(v)	राजस्व प्राप्तियां	92
(vi)	वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति	93
(vii)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण सम्बन्धित उपलब्धि	94
(viii)	विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति	95
(ix)	नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक व जन लेखा समिति के प्रतिवेदन	96
(x)	विधान सभा प्रश्नो के जवाब भिजवाने की प्रगति	97
(xi)	घर घर औषधि योजना अन्तर्गत पौध एवं किट वितरण की प्रगति	98

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32864.62 वर्ग किमी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 37.05, 56.49 और 6.46 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021 के अनुसार राज्य का वनावरण **(Forest Cover)** 16654.96 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण **(Tree Cover)** 8733 वर्ग किमी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25387.96 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान वन्यजीव प्रबंधन सम्बंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान द्वारा राज्य में वन विकास संबंधित कार्यों तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबंध के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उपखंड हैं, जिसमें सहायक वन सरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती हैं, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती हैं, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा वृक्षपालक होता हैं एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय–प्रथम के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया है तथा भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा वनपाल, वन रक्षक, वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत् आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों का अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं, इस हेतु राज्य में T.A.D. विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। प्रदेश में दिसम्बर, 2021 तक कुल 84852 दावे

विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 45074 (25466.1877 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 360 (4971.0295 हेक्टेयर) कुल 45434 (30437.2172 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 वाईल्ड लाईफ फर्स्ट व अन्य बनाम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.02.19, 28.02.19, 06.08.19 तथा 12.09.19 की पालना में वन सुरक्षा अनुभाग को रिव्यू के पश्चात् कुल 21 वन मण्डलों से अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरण की 7050 .kml/ .shp Files प्राप्त हुई, जिनमें वनभूमि पर अतिक्रमण है। इस अनुभाग द्वारा विभिन्न वन मंडलों से प्राप्त .kml की .shp File तैयार कर दिनांक 31.12.2021 तक कुल 7050 .shp File अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर तथा फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया को प्रेषित की गई है।

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों का अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि की स्वीक ति भारत सरकार/राज्य सरकार के स्तर पर दी जाती है। वर्ष 2014 से उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन वेब पोर्टल PARIVESH के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। इस वर्ष दिनांक 31.12.2021 तक 38 प्रस्तावों में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, जिनमे 47.805 हैक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु दी गई है। इसके फलस्वरूप 8.913 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त हुई हैं एवं 58.1716 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई है।

इस वर्ष भी प्रदेश में वन एवं वन क्षेत्रों के बाहर 32442.57 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 118.223 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं।

वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" JICA के सहयोग से 19 जिलों में तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)" AFD फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में वित्त पोषित करवाई जा रही है।

भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील घोषित किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण भी दिनांक 30.09. 2018 से अस्तित्व में आ गया है। इस नये प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेन्ट एंव प्लानिंग अथारिटी का स्थान ले लिया है। स्टेट कैम्पा में वर्ष 2018–19 से 2021–22 की अवधि में रिलीज राशि 80682.03 लाख रूपये के विरूद्ध 51605.09 लाख रूपये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (NFL & DFL), परिभ्रांषित भूमि पर वृक्षारोपण (ANR), वन भूमि के सीमा स्तंभ निर्माण, पक्की दीवार, वन चौकियों के निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किये गये हैं। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना के अन्तर्गत जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा जिले में कैम्पा मद की राशि का उपयोग कर नगर वन स्थापित किये गये हैं। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए

जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में 10000 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 2900 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

वनवर्धन कार्यालय अन्तर्गत निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

राज्य में इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य लघु वन उपजों के दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (RSFDC) का गठन किया जाकर ''कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार'' में कम्पनीज एक्ट, 2013 अनुसार दिनांक 16.12.2020 रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जिसका मंत्रीमंडल आज्ञा 02/21 दिनांक 20.01.2021 से अनुमोदन प्राप्त किया गया। इससे प्रदेश में वन एवं गैर वन भूमि पर काष्ठ व अकाष्ठ वन उपज तथा वन क्षेत्रों में पर्यटन एवं इससे जुड़ी सेवाओं आदि वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को बढावा मिलेगा।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये ई–गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल–forest.rajasthan.gov.in को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग में प्रथम बार इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर पर विभाग की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्य कलापों से संबंधित सूचनाओं को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अंर्तगत वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा है।

विभाग में इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की गयी घर–घर औषधि योजना (GGAY) के व्यापक प्रचार प्रसार एवं मॉनिटरिंग के लिए पृथक मोबाइल एप का निर्माण कराया गया है जिसके माध्यम से फील्ड स्तर का डाटा आसानी से एकत्र किया जाना संभव होगा।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सम्बंधित व्यक्तियों/छात्रों/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है, तालछापर (चुरू) स्थित प्रशिक्षण केन्द्र को मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में पश्चिमी राजस्थान के मरूस्थलीय परितन्त्र एवं वन्यजीवों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है।

राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ईको–ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान ईको–ट्यूरिज्म पॉलिसी–2021 भी अधिसूचित कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोटा के अभेड़ा में जैविक उद्यान शुरू कर दिया गया है तथा बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाये जा रहे है।

राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" "Project Elephant" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी. पी–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे है। रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण फाउण्डेशन में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाता है।

"प्रोजेक्ट बस्टर्ड" के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। गोडावण के संरक्षण हेतु एक "केप्टिव ब्रीडिंग सेन्टर" की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सेटेलाईट फेसिलिटी जैसलमेर में की जायेगी । वर्तमान में सम चौकी पर एक अस्थाई व्यवस्था कर गोडावण के 16 चूजों का कृत्रिम प्रजनन कर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। खरमोर के सरंक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय करार कर कृत्रिम प्रजनन हेतु अजमेर जिले में अस्थाई कृत्रिम प्रजनन केन्द्र बनाया गया है । जहां पर इस वर्ष खरमोर के 02 अण्डे खेतों से उठाकर प्रजन्न केन्द्र पर सफलतापूर्वक 02 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है।

पैंथर संरक्षण के लिये एक योजना "प्रोजेक्ट लैपर्ड" तैयार कर झालाना, जयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। झालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई जहां पर्यटको का आगमन हुआ है। इस वर्ष राज्य योजना के तहत बस्सी, आबू पर्वत, जयसमन्द आदि में इसका कार्य कराया जा रहा है। शेरगढ़, खेतड़ी, कुम्भलगढ़ आदि क्षेत्रों में कैम्पा मद में प्रोजेक्ट लैपर्ड की गतिविधियां कराई जा रही है। झालाना से सटे क्षेत्र आमागढ़ में नई लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की जा रहीं हैं।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं।

वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,864.62 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.60
प्रदेश का कुल वनावरण	:	16,654.96 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	8,733 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	25387.96 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्यजीव अभयारण्य	:	27
कंजर्वेशन रिजर्व	:	15
बाघ परियोजनाएं	:	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स)
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्यजीव मण्डल	:	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (कैडर स्ट्रेंथ)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,658
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	:	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	710
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	990
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
कार्यप्रभारित कर्मचारी	:	3812

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2020 की क्रियान्विति की सूचना

घोषणा क्रमांक	विभाग से संबंधित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
90	एन.ए.एफ.सी.सी. के तहत नाबार्ड द्वारा प्राप्त अनुदान से बाडमेर जिले में 1 हजार 195 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, जल व मृदा संरक्षण कार्य कराये जा रहे हैं।	एन.ए.एफ.सी.सी. (National Adaptation Fund for Climate Change) के तहत स्वीकृत परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजकीय विभागों से तकनीकी सहयोग व मार्गदर्शन हेतु जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित रेंज शिव के कार्यस्थल गंगापुरा व चाडियाली का स्थान परिवर्तन कर रेंज शिव में ही खुडाणी–ए व खुडाणी–बी किया गया है तथा उक्त दोनो स्थलों पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। रेंज सिवाना के कार्यस्थल भीमगौडा में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं कार्य स्थल परिहारों की ढाणी में शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
91	चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15 हजार 855 हेक्टेयर में वृक्षारोपण के साथ ही 1 करोड 9 लाख पौधों का वितरण किया गया है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16 हजार 664 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ ही 1 करोड 63 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है।

वर्ष 2021–22 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
60.05.0	आगामी 2 वर्षों में वन विभाग में 1700 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	बजट घोषणा 2021–22 के सहायक वन संरक्षक के 28, रेंजर ग्रेड–I के 10 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प012(7)वन/2013, दिनांक 03.08.2021 द्वारा RPSC को संशोधित अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। वनपाल के 12, वनरक्षक के 1259, वाहन चालक के 54 रिक्त पदों को भर्ती परीक्षा–2020 में ही भरे जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 2602, दिनांक 23.07.2021 व पत्रांक 2481, दिनांक 06.07.2021 एवं पत्रांक 5965–66, दिनांक 25.11.2021 द्वारा राज्य सरकार को संशोधित अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। कनिष्ठ अभियंता के 5, प्रयोगशाला सहायक के 13 एवं ट्रैक्टर गार्ड के 15 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 6193, दिनांक 10.12.2021 द्वारा राज्य सरकार को संशोधित अर्थना प्रेषित की जा चुकी है।	प्रगतिरत	31.03.2023
201. 00.0	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरणस्थली के रूप में विख्यात है। यह यूनेस्को हेरिटेज एवं रामसर recognised साइट है। इसके महत्व को देखते हुए इसे Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित किया जायेगा।	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, Wetland Birds Conservation Centre के रूप में विकसित करने हेतु उप वन संरक्षक, वन्यजीव भरतपुर द्वारा पत्र क्रमांक 832 दिनांक 15.03.2021 संशोधित प्रस्ताव राशि 1.72 करोड रूपये का प्रस्तुत किये जाने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(5)वन/2021, दिनांक 15.04.2021 द्वारा वन विभाग के प्रस्तावित कार्यों के लिए राशि 172.00 लाख के विरूद्ध राशि 150.00 लाख की सहमति प्रदान की गई है। प्रस्तावित वेटलैण्ड बर्ड हैबीटेट एवं कन्जरवेशन सेन्टर के लिये WFF-India को नोलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है जिसका MOU राज्य सरकार को कार्यालय अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर के पत्र क्रमांक 112, दिनांक 10.09.2021 से प्रेषित किया जा चुका है। सेन्टर की डिजाईन की डीपीआर बनाने के लिये सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट के माध्यम से IIT Hyderabad का चयन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा IIT Hyderabad से MOU स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को एकल पत्रावली क्रमांक 192, दिनांक 10.11.2021 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। जैव विविधता के संरक्षण एवं पक्षियों हेतु जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए चम्बल नदी से जल लाने का मूल प्रस्ताव जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतः प्रोजेक्ट राशि 570 करोड़ की DPR तैयार कराने का कार्य जल संसाधन विभाग के स्तर से होना है। इस बाबत कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर के पत्रांक 251 दिनांक 03.03.2021 द्वारा राज्य सरकार को लिखा जा चुका है।	प्रगतिरत	31.03.2022

202.0.0	तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।	तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु कार्य योजना बनाई जा चुकी है। बजट आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट राशि 2.40 करोड़ रू. प्राप्त हो चुकी है। प्रशिक्षण केन्द्र हेतु दो नये वाहन क्रय करने हेतु प्र.मु.व.स. (हॉफ), जयपुर द्वारा पत्रांक 522, दिनांक 18.06.2021 द्वारा स्वीकृति जारी की गई। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के अपग्रेडेशन हेतु RSRDC, बीकानेर से MoU किया जा चुका है। दिनांक 02.09.2021 को RSRDC, बीकानेर को MoU के अनुसार राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। दिनांक 01.10.2021 को माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा उक्त प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाट्न किया जा चुका है तथा विधिवत रूप से प्रक्षिशण कार्यक्रम का शुभारम्भ भी किया गया। तालछापर अभयारण्य परिसर में सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना हेतु REILके माध्यम से कार्य करवाये जाने बाबत मौका निरीक्षण कर स्थान निर्धारित कर लिये गये हैं।	प्रगतिरत	31.03.2021 27.03.2021(R)
203.0.0	चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य के खण्डार –सवाईमाधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाये जायेंगे।	चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के खण्डार–सवाईमाधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से बुनियादि सुविधाओं का विकास हेतु वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत एकल पत्रावली पर दिनांक 25.03.2021 को दी गई टिप्पणी के क्रम में संशोधित प्रस्ताव राशि 460.00 लाख के तैयार प्रस्तावित गतिविधियों वर्षवार मदवार एवं समयबद्ध सोपान (Timeline) का विवरण तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु दिनांक 27.05.2021 को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात प्रमुख शासन सचिव (वन) महोदया के क्षेत्र भ्रमण दिनांक 12.06.2021 के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 16.06.2021 को 525.00 लाख के संशोधित प्रस्ताव राजस्थान सरकार को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार के पत्रांक प.3(7)वन/2021, दिनांक 25.06.2021 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि 285.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। किये जाने वाले कार्यों की ड्रॉफ्ट डी.पी.आर. का अनुमोदन राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12.11.2021 द्वारा किया जा चुका है।	प्रगतिरत	31.03.2023

204. 00.0	जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से वॉकिंग ट्रेक, योगापार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित करने की घोषणा।	जोधपुर वनमण्डल के बेरीगंगा वनखण्ड के 8 मील वनक्षेत्र में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जा रहा है। जिसके क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कन्सेप्ट नोट राज्य सरकार के पत्रांक प4(3)वन/पार्ट, जयपुर, दिनांक 26.05.2021 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कार्यकारी एजेन्सी के निर्धारण के लिये संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में हुई बैठक दिनांक 24.05.2021 में यह कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराये जाने की सहमति बनी। इस कार्य के लिये लगभग 250 हैक्टेयर क्षेत्र का निर्धारण एवं सर्वेक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर द्वारा कर लिया गया है एवं मौके पर क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डी.पी.आर. तैयार करने वाली कन्सल्टेन्सी फर्म चयन हेतु कार्यालय आदेश 903, दिनांक 10.09.2021 द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है, जो निविदा का तकनीकी मूल्यांकन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुतीकरण के आधारपर मानक तय कर अंतिम चयन करेगी। एक निविदा को चयनित किया गया है जिसका कार्यादेश जारी कर दिया गया है।	प्रगतिरत	29.03.2025
205.0.0	राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए 'घर–घर औषधि योजना' शुरू की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।	औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में औषधीय पौधों के सरंक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर–घर औषधि योजना के अन्तर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 20.04.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। बजट आवंटन पश्चात पौध तैयारी की कार्यवाही की गई। पौध परिवहन, प्रचार–प्रसार, जन जागृति आदि का बजट आवंटन कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.21(6) 2021–22 /विकास/ प्रमुवसं/1832–40, दिनांक 30.06.2021 को किया गया। माननीय वन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राज0, जयपुर द्वारा दिनांक 14. 07.2021 को उक्त योजना की समीक्षा बैठक ली गई। इस योजना का शुभारंभ 1 अगस्त , 2021 को किया गया। द्वितीय चरण का प्रारंभ 2 अक्टूबर, 2021 को किया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 24.01.2022 तक लक्ष्य 506.06 लाख के विरूद्ध 517.83 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है तथा 64.72 लाख परिवारों को लाभान्वित कर 102.33 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है।	प्रगतिरत	29.03.2025

358.0.0	राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण तथा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए आगामी 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण तथा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5900 है0 वृक्षारोपण एवं 30000 है0 अग्रिम मृदा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु राशि रू. 146.32 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	प्रगतिरत	31.03.2023

वर्ष 2020–21 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

1	175.01.0	राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनभागीदारी से सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाये जायेंगे।	राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न विभागीय योजनाओं में (कैम्पा, आर. डी.एफ., जलवायु परिवर्तन एवं मरूप्रसार रोक, आई.जी.एन.पी. क्षेत्र पुर्नवृक्षारोपण, भाखड़ा नांगल परियोजना, गंग नहर परियोजना, ई.टी.एफ) वर्ष 2019–20 में 16664 हेक्टेयर एवं वर्ष 2020–21 में 20956. 42 एवं दिनांक 31.12.2021 तक 32442.57 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाये गये हैं। आगामी वर्षों में उक्त वृक्षारोपण क्षेत्रों में संधारण कार्य किया जायेगा।	पूर्ण	31.03.2021
2	176.0.0	गुरूनानक देव जी की 550 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान/नये उद्यान को गुरूनानक जयन्ती पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर कुल 1 करोड 25 लाख रूपये का व्यय होगा।	550 वीं गुरूनानक जयन्ती पर राज्य के पांच जिलों यथा हनुमानगढ (वनखण्ड कोहला के चक 15 केएसपी में), श्रीगंगानगर (ग्राम चक भागसर बारानी तहसील रायसिंहनगर में), कोटा (वनखण्ड आंवली रोझडी में), अलवर (नर्सरी मूंगस्का परिसर, अलवर में) एवं बून्दी (वनखण्ड चतरगंज बी में) में गुरूनानक जयन्ती वृक्ष वाटिका का विकास किया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा छः वर्षों में कुल राशि 1.03 करोड का व्यय किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 37.46 लाख रूपये की राशि व्यय की जाकर वृक्षारोपण कार्य किया जा चुका है तथा आगामी 5 वर्षों तक इनका संधारण कार्य किया जावेगा।	पूर्ण	31.03.2025
3	177.0.0	राज्य में वनों की उत्पादकता बढाने और इमारती लकडी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु 'राजस्थान राज्य वन विकास निगम' गठित किया जायेगा।	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ''कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार'' में कम्पनीज एक्ट, 2013 के अनुसार दिनांक 16.12.2020 को हो चुका है। जिसका मंत्रीमंडल आज्ञा 02/21 दिनांक 20.01.2021 से अनुमोदन प्राप्त किया गया।	पूर्ण	31.03.2021

4	**255.0.0**	मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जायेगा।	मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड संरक्षण हेतु विकसित करने हेतु प्रस्तावित कार्य सम्मिलित करते हुये 560.775 लाख रू. की एक वार्षिक कार्य योजना कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पत्र क्रंमाक 6624 दिनांक 01.06.2020 द्वारा भारत सरकार को भेजी गयी थी। भारत सरकार के पत्रांक F.no13-20/2020/WL, दिंनाक 29.09.2020 द्वारा राशि 70.7915 लाख का एपीओ स्वीकृत हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है एवं कार्यालय द्वारा सम्बन्धित APO हेतु बजट आवंटित कर दिया गया है। अवशेष राशि के वित्त पोषण हेतु कार्यालय के पत्रांक PA/CWLW/99 दिनांक 22.10.2020 द्वारा राज्य सरकार से निवेदन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष मे कम समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष राशि 489.9785 लाख के प्रस्ताव बाद मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।	पूर्ण	31.03.2021
5	**322.0.0**	सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य को विकसित किया जायेगा।	राष्ट्रीय घडियाल अभ्यारण्य के विकास हेतु घडियाल संभावित क्षेत्रों मे 6 फीट दीवार निर्माण कार्य, वन क्षेत्रों का Boundary Pillar द्वारा सीमाकन, क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु वाचर लगाना, In-situ हैचरी निर्माण एवं संधारण आदि कार्य को सम्मिलित करते हुए रू 1118.45 लाख की वार्षिक कार्य योजना वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार को पत्र क्रमांक 6492 दिनांक 27.04.2020 द्वारा भेजी जा चुकी है। भारत सरकार से भारत सरकार के पत्रांक F.no13-20/2011/WL दिंनाक 09–10–2020 द्वारा राशि 157.65 लाख स्वीकृत हो चुके है। प्राप्त धनराशि में प्रस्तावित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।	पूर्ण	31.03.2021

वर्ष 2019–20 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
48.0.0	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर Japan International Co-operation Agency (JICA) को प्रस्तुत किया जायेगा।	राज्य मे वानिकी एवं जैव विविधता को बढावा देने के लिए एक नवीन परियोजना प्रस्ताव Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conser-vation Project (RABCP) को Japan Internaional Co-operation Agency (JICA) के Rolling Planमें शामिल करने के लिए दिनांक 03.06.2020 को भारत सरकार के Department of Economics Affairs (D.E.A.), New Delhiद्वारा अनुमोदित किया गया था। परियोजना की Detailed Project Report (DPR) तैयार कर MoEF&CC, नई दिल्ली को दिनांक 07.04.2021 को भिजवा दी गई है। माह जून, 2021 में परियोजना की DPR को D.E.A.,, New Delhi द्वारा JICA Indiaको प्रस्तुत कर दिया गया। यह परियोजना राज्य के अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चुरू, चित्तौड़गढ, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमन्द एवं उदयपुर सहित 19 जिलों हेतु तैयार की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1803.42 करोड़ रू. है जिसमें JICA का अंश 1568.19 करोड़ रू. तथा राज्य सरकार का 235.23 करोड़ रू. अंश है।	पूर्ण	31.03.2020
134.09.0	प्रदेश में इस वर्ष वन विभाग द्वारा लगभग 1474 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	राजस्थांन लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सहायक वन संरक्षक एवं रेंजर ऑफिसर ग्रेड–Iके पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षा– 2018 का आयोजन दिनांक 18.02. 2021 से 26.02.2021 तक किया गया। जिसका परीणाम दिनांक 09.12.2021 को RPSCद्वारा घोषित किया जा चुका है। वनपाल के 87 व वनरक्षक के 1041 पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के क्रम में RSSB द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्राप्त कर लिए गए है। वनपाल के 12, वनरक्षक के 1259 एवं वाहन चालक के 54 अतिरिक्त रिक्त पदों को भर्ती परीक्षा–2020 में ही सम्मिलित करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 2602, दिनांक 23. 07.2021 व पत्रांक 2481, दिनांक 06.07.2021 एवं पत्रांक 5965–66, दिनांक 25.11.2021 द्वारा राज्य सरकार को संशोधित अर्थना प्रेषित की जा चुकी है तथा वाहन चालक के 153 एवं सर्वेयर के 43 पदों पर RSSB के स्तर से विज्ञापन की कार्यवाही RSSB के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	प्रगतिरत	31.12.2020 31.03.2021 (R)

3	146.0.0	रणथम्भौर नेशनल पार्क देश–विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान मिली है। टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे।	बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयासों के अंतर्गत एक Strategy Planतैयार किया जाकर राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है। इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।	पूर्ण	31.03.2022
4	147.0.0	गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है। दुनिया में इस प्रजाति की संख्या अब 200 से भी कम रह गयी है, जिसमें से अधिकतर राजस्थान में ही हैं। अतः गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनायी जायेगी। साथ ही, इनकी artificial hatching हेतु भी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।	Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। कृत्रिम प्रजनन से अब तक 16 चूजे विकसित किये जा चुके है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन के अतिरिक्त राष्ट्रीय मरू उद्यान, रामदेवरा व अन्य क्षेत्रों में इसके संरक्षण हेतु रू 223 करोड की एक योजना गोडावण संरक्षण हेतु बनाकर राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार से भी इसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इस बाबत बजट उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पत्र क्रमांक मुमं/राज/2020/105827,दिनांक 13.03.2020 से माननीय केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है।	पूर्ण	31.03.2022
5	300.0.0	रणथम्भौर के निकट बून्दी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए परीक्षण करवाया जायेगा।	रणथम्भौर के निकट बूंदी और रामगढ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनायी जाकर परीक्षण कर राज्य सरकार को कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पत्र संख्या 6262 दिनांक 17–01–2020 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। रामगढ विषधारी अभयारण्य एवं इसके आस–पास के क्षेत्र को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए संशोधित प्रस्ताव दिनांक 25–03–2021 को राजस्थान सरकार को एकल पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 3(12)/Forest/2019, दिनांक 27.05.2021 द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली (NTCA) को प्रेषित किये गये। NTCA स्तर की 10th Technical Committee की बैठक दिनांक 21.06.2021 में इसे सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है।	पूर्ण	31.03.2021

जन घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज)

कमांक	विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
15.6	प्रदेश पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए अधिक से अधिक पेड लगाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाये जायेगें।	वर्ष 2021–22 में दिनांक 31.12.2021 तक 32442.57 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। औषधीय पौधों को घर में उगाने के इच्छुक परिवारो को घर घर औषधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–2022 में चार प्रकार (तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ) के आठ नि:शुल्क औषधीय पौधे उपलब्ध कराये जायेगें। आगामी पांच वर्षो में हर परिवार को कुल 24 पौधे उपलब्ध कराये जायेगें। इस योजना का शुभारम्भ 1 अगस्त, 2021 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किया गया। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 24.01.2022 तक लक्ष्य 506.06 लाख के विरुद्ध 517.83 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है जोकि लक्ष्य का 102.33 प्रतिशत है।	Task Completed with Continuous in nature	
15.6	राज्य की वन एवं वन्यजीवों के उत्कृष्ट प्रबन्धन हेतु राज्य वन एवं वन्य जीव प्रबन्धन बोर्ड का गठन।	1. राज्य में राज्य वन्यजीव मण्डल प्रभावी है इसलिए अलग से वन्यजीव प्रबन्धन बोर्ड गठित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 2. वन प्रबंधन हेतु वन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य वन सलाहकार परिषद के गठन के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2010 को जारी किया हुआ है। इसलिए वन के उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।	Task Completed	

अध्याय – 1
राजस्थान के वन संसाधनः एक परिचय

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून अनुसार 23^0 40' एवं 30^0 11' उत्तरी अक्षांश तथा $69^0$29' एवं $78^0$17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 342239 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15 वें स्थान पर है। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

1.1 वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र (Recorded forest Area) 32864.62 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12176.24	37.05
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18564.45	56.49
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2123.93	6.46
	योग	**32864.62**	**100**

1.2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021

देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये 1987 से प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय दूर–संवेदी उपग्रह (IRS Resourcesat-2 LISS III Satellite) से माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2019 की अवधि में प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report)– 2021 जारी की गई जो इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार हैंः–

1.2.1 Forest Cover in Rajasthan

	Area (in Sq Kms)	% of Geographical Area
VDF- Very Dense Forest (>70% Crop Density)	78.15	0.02
MDF-Moderately Dense Forest (40-70% Crop Density)	4368.65	1.28
OF- Open Forest (10-40% Crop Density)	12208.16	3.57
Total	16654.96	4.87
Scrub(< 10% Crop Density)	4808.51	1.41

1.2.2 Percentage area under different forest types of Rajasthan

As per the Champion & Seth classification of Forest Types (1968), forests in Rajasthan belong to two type groups i.e. Tropical Dry Deciduous and Tropical Thorn Forests which are further divided into 20 Forest Types. The Percentage area under different forest types of Rajasthan is given below:

S.No.	Forest Type	% of Forest Cover
1	5A/C1a Very Dry Teak Forest	4.92
2	5A/C1b Dry Teak Forest	0.22
3	5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest	38.78
4	5/E1/DS1 Dry Deciduous Scrub	10.92
5	5/DS2 Dry Savannah Forest	0.01
6	5/E1 *Anogeissus pendula* Forest	14.78
7	5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub	2.45
8	5/E2 *Boswellia* Forest	0.71
9	5/E5 *Butea* Forest	0.25
10	5/E6 *Aegle* Forest	0.01
11	5/E8a Phoenix /savannah Forest	0.01
12	5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest	0.23
13	5/1S2 Khair Sissu Forest	1.42
14	6B/C1 desert Thorn Forest	3.80
15	6B/C2 Ravine Thorn Forest	1.54
16	6B/DS1 *Zizyphus* Scrub	0.77
17	6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub	0.01
18	6/E1 *Euphorbia* Scrub	0.62
19	6/E2 *Acacia senegal* Forest	0.22
20	6/1S1 Desert Dune Scrub	4.53
21	Plantation/Tree Outside Forests (TOF)	13.80
	Total	100

1.2.3 District -wise Forest Cover in Rajasthan

Area in Sq. Kms

District	Geographical Area (GA)	2021 Assessment				% of GA	Change w.r.t. 2019 assessment	Scrub
		VDF	MDF	OF	Total			
Ajmer	8481	0.00	46.49	285.07	331.56	3.91	26.45	175.72
Alwar	8380	59.70	334.65	801.56	1195.91	14.27	-0.75	243.08
Banswara	4522	0.00	38.52	230.09	268.61	5.94	0.19	60.17
Baran	6992	0.00	153.66	856.39	1010.05	14.45	-0.94	98.93
Barmer	28387	0.00	4.79	284.43	289.22	1.02	-0.57	223.18
Bharatpur	5066	0.00	26.33	194.73	221.06	4.36	-9.21	77.15
Bhilwara	10455	0.00	33.31	191.00	224.31	2.15	0.12	189.76
Bikaner	30239	0.88	28.06	250.77	279.71	0.92	24.10	49.86
Bundi	5776	1.00	138.98	424.37	564.35	9.77	7.17	172.67
Chittorgarh	7822	0.00	222.01	768.04	990.04	12.66	1.25	107.42
Churu	13835	0.00	2.44	75.25	77.69	0.56	-4.31	27.48
Dausa	3432	0.00	11.15	105.45	116.60	3.40	-0.40	94.66
Dholpur	3033	0.00	79.75	339.32	419.07	13.82	0.07	76.07
Dungarpur	3770	0.00	42.53	262.01	304.54	8.08	2.24	83.37
SriGanganagar	10978	0.00	9.87	105.22	115.09	1.05	2.17	15.78
Hanumangarh	9656	1.01	6.80	85.16	92.97	0.96	3.01	6.71
Jaipur	11143	12.00	97.20	445.66	554.86	4.98	2.10	272.85
Jaisalmer	38401	3.56	48.64	270.19	322.39	0.84	-3.38	206.14
Jalore	10640	0.00	22.67	212.94	235.61	2.21	-32.46	221.89
Jhalawar	6219	0.00	83.39	353.28	436.67	7.02	1.09	102.57
Jhunjhunu	5928	0.00	20.79	180.17	200.96	3.39	0.19	179.54
Jodhpur	22850	0.00	4.26	104.99	109.25	0.48	1.47	163.53
Karauli	5524	0.00	96.04	747.80	843.84	15.28	-26.16	300.54
Kota	5217	0.00	153.28	391.55	544.83	10.44	-1.90	135.83
Nagaur	17718	0.00	14.11	155.65	169.76	0.96	22.72	87.71
Pali	12387	0.00	211.60	489.26	700.86	5.66	26.01	357.60
Pratapgarh	4449	0.00	562.97	470.80	1033.77	23.24	-4.14	59.05
Rajsamand	4655	0.00	129.94	386.93	516.87	11.10	-4.92	126.06
Sawai Madhopur	4498	0.00	171.30	293.31	464.61	10.33	1.92	138.52
Sikar	7732	0.00	31.51	170.67	202.18	2.61	9.12	198.68
Sirohi	5136	0.00	300.96	597.46	898.42	17.49	-13.49	247.50
Tonk	7194	0.00	27.72	138.18	165.90	2.31	0.84	68.96
Udaipur	11724	0.00	1212.93	1540.46	2753.39	23.49	-4.15	239.53
Grand Total	**342239**	**78.15**	**4368.65**	**12208.16**	**16654.96**	**4.87**	**25.45**	**4808.51**

1.3 प्रदेश का वानिकी परिदृश्यः एक दृष्टि में

● राज्य का कुल अभिलेखित वन (Recorded forest Area)	32864.62 वर्ग किमी
● राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि	9.60 प्रतिशत
● राज्य का कुल वनावरण (Forest Cover)	16655 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण	12560 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के बाहर वनावरण	4095 वर्ग किमी
● राज्य का वृक्षावरण (Tree Cover)	8733 वर्ग किमी
● राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	25388 वर्ग किमी
➢ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का	7.42 प्रतिशत
➢ प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण	0.037 हेक्टेयर

अध्याय – 2
प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

2.1 वन प्रशासन

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

2.1.1 उच्च स्तरीय प्रशासन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्यजीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।
- मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा वानिकी एवं वन्य जीव विषयों से संबंधित समस्त विषयों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रबंधन के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की

सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

2.1.2 मध्यम स्तरीय प्रशासन

- मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किये गये हैं। सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप है।
- इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया गया है। इनके द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक सम्भाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद भी सृजित किया गया है।
- इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर एवं मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा कार्यरत हैं।
- प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गये हैं। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उपखण्ड में 3 से 4 रेंजें हैं। उपखण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

2.1.3 कार्यकारी स्तर

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज का प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होता है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ठ योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

2.2 वन सेवा

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवाओं का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है :–

2.2.1 भारतीय वन सेवा

राजस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केडर स्ट्रेन्थ 145 है। जिसमें 89 वरिष्ठ ड्यूटी पद एवं शेष 56 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व के लिए स्वीकृत हैं।

दिनांक – 01.01.2022 की स्थिती अनुसार

क्र.सं.	पद नाम	कैडर पद		एक्स कैडर पद पर कार्यरत
		स्वीकृत	कार्यरत	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	1	4
2	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	4	8
3	मुख्य वन संरक्षक	21	7	3
4	वन संरक्षक	16	7	5
5	उप वन संरक्षक	44	29	12

2.2.2 राजस्थान वन सेवा (1.1.2022 की स्थिति)

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	उप वन संरक्षक(हायर सुपर टाईम स्केल)	5	1	4
2.	उप वन संरक्षक(सुपर टाईम स्केल)	26	2	24
3.	उप वन संरक्षक(सलेक्शन स्केल)	52	25	27
4.	उप वन संरक्षक(सीनियर स्केल)	78	49	29
5.	स्हायक वन संरक्षक(जूनियर स्केल)	268	48	220
	योग	**429**	**125**	**304**

2.3 विभिन्न संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति(1.1.2022 की स्थिति)

2.3.1 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारी

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी सेवा)	4	1	3
2.	सहायक कृषि अभियंता(अभियांत्रिकी सेवा)	3	0	3
3.	विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	130	91	39

2.3.2 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा(1.1.2022 की स्थिति)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	रेंजर ग्रेड–I	258	118	140
2	जू–अधीक्षक	1	1	0
3	रेंजर ग्रेड–II	451	204	247
4	जू–सुपरवाईजर	4	0	4
5	वनपाल	979	724	255
6	सहायक वनपाल	1498	1039	459
7	वनरक्षक	4467	2167	2300
	योग	**7658**	**4253**	**3405**

2.3.3 लेखा संवर्ग एंव तकनीकी सेवा (1.1.2022 की स्थिति)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	710	390	320

2.3.4 मंत्रालयिक सेवा (1.1.2022 की स्थिति)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	मंत्रालयिक संवर्ग	990	695	295

2.3.5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (1.1.2022 की स्थिति)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	413	378	35

2.3.6 विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर (1.1.2022 की स्थिति)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर के गठन हेतु स्वीकृत एंव रिक्त	112	61	51

2.4 विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धित विवरण

- वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के सीधी भर्ती के 127 एवं रेंजर ग्रेड–1 के 115 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया है तथा भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में दिनांक 01.12.2018 तक विभाग में सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से वनपाल के 228 एवं वनरक्षक 1774 रिक्त पदों पर सीधी द्वारा नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 के दौरान 228 वनपालों एवं 1672 वनरक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में 83 वनपालों, 35 पुरूष वनरक्षकों एवं 42 महिला वनरक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- विभाग में कनिष्ठ सहायक के 96 पदों का प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा दिनांक 16.05.2020 को आवंटन किया गया तथा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति व जनजाति के बैकलॉग के 2 पदों का आवंटन दिनांक 18.06.2020 को किया गया।

- विभाग में वनपाल के 87 एवं वनरक्षक के 1041 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के विज्ञापन सं. 04/2020 दिनांक 11.11.2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। उक्त पद वनपाल एवं वनरक्षक के ऑन लाईन आवेदन दिनांक 08.12.2020 से 22.01.2021 तक आवेदन प्राप्त कर लिए गये है। वनपाल/वनरक्षक के अतिरिक्त रिक्त पदों को भर्ती परीक्षा–2020 में ही सम्मिलित करने हेतु वनपाल के कुल (87+12=99)/वनरक्षक के कुल (1041+1259=2300) तथा वाहन चालक के कुल (99+54=153) उक्त पदों को प्रक्रियाधीन भर्ती मे शामिल करने हेतु संशोधित अर्थना राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। सर्वेयर के 43

पदों पर संशोधित अर्थना भिजवाई गई है। वाहन चालक एवं सर्वेयर के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के स्तर से विज्ञप्ति जारी की जानी है।

- कनिष्ठ अभियंता के 5, प्रयोगशाला सहायक के 13 एवं ट्रैक्टर गार्ड के 15 पदों की संशोधित अर्थना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6193 दिनांक 10.12.2021 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

2.5 अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण (वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक)

क्रं.सं.	**पदनाम**	**प्रदान की गई नियुक्तियों की संख्या**
1.	कनिष्ठ सहायक	80
2.	वनरक्षक	24
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21
	योग	**125**

2.6 विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2021–22 (01.04.2021 से 31.03.2022) तक विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गईः–

क्र.स.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष	डी.पी.सी दिनांक
1	प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी	1	2021–22	06.09.2021
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	8	2021–22	06.09.2021
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अति प्रशासनिक अधिकारी	21	2021–22	24.09.2021
4	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	73	2021–22	24.09.2021
5	अति निजी सचिव से निजी सचिव	1	2021–22	26.07.2021
6	निजी सहायक से अति निजी सचिव	3	2021–22	26.07.2021
7	आशूलिपिक से निजी सहायक	4	2021–22	26.07.2021

2.7 वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है:–

क्र. स.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विशेष विवरण
1	संस्थापन अधिकारी	3417/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
2	प्रशासनिक अधिकारी	3430/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
3	अति. प्रशासनिक अधिकारी	3443/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3567/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
5	वरिष्ठ सहायक	6244/सी दिनांक 29.09.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
6	कनिष्ठ सहायक	7065/सी दिनांक 16.112021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
7	निजी सचिव	3111/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
8	अतिरिक्त निजी सचिव	3129/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
9	निजी सहायक	3163/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2020की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
10	आशुलिपिक	3295/सी दिनांक 4.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
11	वाहन चालको	3619/सी दिनांक 02.6.2020	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अन्तरिम वरिष्ठता सूची
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4573/सी दिनांक 24.06.2021	1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

2.8 अधीनस्थ एवं तकनिकी संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों का वर्ष वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.4.2021) की स्थिति अनुसार निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है:–

क्र. स.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विशेष विवरण
1	ट्रेसर	4685–4693/सी दिनांक 24.6.2021	ट्रेसर की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
2	निरीक्षक	4694–4701/सी दिनांक 24.6.2021	निरीक्षक की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
3	कनिष्ट अभियन्ता	4440–4447/सी दिनांक . 18.6.2021	कनिष्ट अभियन्ता की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
4	सर्वेयर/फील्डमैन	15–126/सी दिनांक 11.1.2022	सर्वेयर/फील्डमैन की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
5	वनपाल	6778–6889/सी दिनांक 1.11.2021	वनपालों की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
6	वन रक्षक	5154–5265/सी दिनांक 22.7.2021	वर्ष 1980–2013 तक भर्ती वन रक्षकों की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
7	क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय	1161–1280 दिनांक 28.6. 2021	दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की अंतिम वरिष्ठता सूची
8	क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम	1281–1398 दिनांक 28.6. 2021	दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम की अंतिम वरिष्ठता सूची

अध्याय – 3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार है–

3.1 गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

3.2 वायरलैस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 है।

3.3 वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

3.4 एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल

वन अपराधी संबन्धी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों यथा अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु एफएमडीएसएस पोर्टल (FMDSS Portal) तथा मोबाइल FMDSS app तैयार किया गया है। उक्त मोबाइल एप यूजर फ्रेण्डली है। इस एप के माध्यम से आसानी से विभिन्न वन अपराधों को दर्ज कर ऑनलाईन रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। वन अपराध के कुल 95261 प्रकरणों को दिनांक 18.01.22 तक FMDSS Portal दर्ज किया जा चुका है।

3.5 इण्डिया कोड पोर्टल

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों का अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड किया

गया है। विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 को अपलोड किया है। उपरोक्त क्रम में अभी तक अपलोड किये गये विभिन्न नियम एवं नोटिफिकेशन निम्नानुसार हैं:–

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 12 नियमों, 11 नोटिफिकेशनों तथा 2 आदेश
- राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 एवं इसके अंतर्गत 2 नोटिफिकेशन
- केन्द्रीय अधिनियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक नियम वन्यजीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम,1977 तथा 12 नोटिफिकेशनों
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक नियम राजस्थान जैवविविधता नियम, 2010

उपरोक्त सभी को इण्डिया कोड पोर्टल पर सम्बन्धित अधिनियम के नाम से सर्च कर अधिनियम/ नियम/ नोटिफिकेशन को पी.डी.एफ- (searchable.pdf) में डाउनलोड किया जा सकता है।

- **वित्तीय वर्ष 2020–21 में वन अपराध के दर्ज प्रकरणो का विवरण**

क्र.सं.	वन अपराध का प्रकार	दिनांक 01.04.2020 तक लम्बित प्रकरण		इस वर्ष में दर्ज प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		एवजाना राशि (लाख रू0 में)
		विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	
1.	अवैध खनन	868	607	1547	16	1542	23	451.80
2.	अवैध कटान	849	317	2533	4	2518	3	128.70
3.	अवैध चराई	183	211	1032	0	1057	0	56.30
4.	वन्यजीव अपराध	729	279	198	25	103	14	35.90
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	73	19	911	0	887	0	24.10
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन	28	6	5	16	1	0	13.60
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	352	256	1324	28	1421	8	538.50
8.	अवैध आरा मशीन	387	483	258	76	139	240	11.20
9.	अन्य अपराध	678	195	1039	18	1035	13	422.73
	योग	**4147**	**2373**	**8847**	**183**	**8703**	**301**	**1682.83**

◆ ***वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन अपराध के दर्ज प्रकरणो का विवरण***

क्र.सं.	वन अपराध का प्रकार	दिनांक 01.04.2021 तक लम्बित प्रकरण		इस वर्ष में दर्ज प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		एवजाना राशि (लाख रू0 में)
		विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	
1.	अवैध खनन	552	246	595	1	559	0	207.7
2.	अवैध कटान	565	140	694	0	686	0	42.30
3.	अवैध चराई	75	27	1951	0	1932	0	35.90
4.	वन्यजीव अपराध	1118	621	397	29	337	40	16.40
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	47	11	415	77	375	77	15.00
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन	40	6	9	0	21	0	5.10
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	185	246	594	0	542	1	339.90
8.	अवैध आरा मशीन	318	295	35	15	110	22	0.60
9.	अन्य अपराध	519	79	991	2	903	3	244.30
	योग	**3419**	**1671**	**5681**	**124**	**5465**	**143**	**907.20**

3.6 वन भूमि पर दर्ज अतिक्रमण प्रकरण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 (A) के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य से अतिक्रमण की बेदखली हेतु कारवाई का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त सूचना अनुसार 246 प्रकरण दर्ज हुए। वर्तमान में वनभूमि पर कुल 12356 प्रकरण अतिक्रमण के दर्ज हैं जिसमें 13585 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र शामिल है, इनमें से दिनांक 21.12.2021 तक 882.427 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित कुल 741 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रूपये 50.63 लाख वसूल की गई है।

3.7 वन अधिकार पत्र

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जोंहेतु अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में दिसम्बर, 2021 तक कुल 84852 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 45074 (25466.1877 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 360 (4971.0295 हेक्टेयर) कुल 45434 (30437.2172 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 वाईल्ड लाईफ फर्स्ट व अन्य बनाम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.02.19, 28.02.19, 06.08.19 तथा 12.09.19 की पालना में वन सुरक्षा अनुभाग को रिव्यू के पश्चात् कुल 21 वन मण्डलों से अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरण की 7050 .kml/ .shp Files प्राप्त हुई, जिनमें वनभूमि पर अतिक्रमण है। इस अनुभाग द्वारा विभिन्न वन मंडलों से प्राप्त .kmlकी.shp File तैयार कर दिनांक 31.12.2021 तक कुल 7050 .shpFile अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर तथा फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया को प्रेषित की गई है।

3.8 वन अधिनियम/नियम/परिपत्रों में संशोधन

राजस्थान वन अधिनियम 1953 में संशोधन कर राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2018 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत बांस प्रजाति को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर–वनभूमि पर किसानों एवं आम लोगों द्वारा बांस प्रजाति के उत्पादन किये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनकी आय में भी वृद्वि होगी।

राजस्थान वन (उपज अभिवहन) नियम 1957 की नियम 3 के उपनियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–2(1)रे वे/8/73/पार्ट–1/जयपुर, दिनांक 09.02.1983 में आंशिक संशोधन

कर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तक को वन उपज के राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु पारपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 50(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन अपराध में जब्त वाहनों के अधिहरण हेतु सहायक वन संरक्षकों के पद रिक्त होने/अवकाश पर रहने/मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में संबंधित उप वन संरक्षकों को क्षेत्राधिकार अनुसार अधिकृत किया गया है।

राजस्थान वन नीति तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप राज्य वन नीति, 2010 में समसामयिक रूप से आवश्यक नवीन विषयों/संशोधित प्रस्तावों का समावेश करते हुए राज्य वन नीति का नवीन प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

3.9 वन भूमि का प्रत्यावर्तन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि/क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–232/2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार दिनांक 15.08.2014 से वन भूमि प्रत्यावर्तन के सभी प्रकार के प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल PARIVESHपर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन रजिस्टर किये जाते हैं। वर्तमान में उक्त क्रम में आवेदन एवं आवेदन से स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑन लाईन है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा दो चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण में कुछ शर्तें अधिरोपित कर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिनकी पालना संबंधित आवेदककर्ता विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करने पर अनुपालना राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.14 के क्रम में 1 हैक्टर तक के जनोपयोगी कार्यो के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है। ''लीनियर'' प्रकृति के समस्त तथा 40 हेक्टेयर वन भूमि तक के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्तावों को छोडकर) में आवश्यक अनुमतियां भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ द्वारा जारी की जाती हैं तथा 40 हेक्टेयर से अधिक (समस्त खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्ताव सम्मिलित) के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में आवश्यक अनुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जो परियोजनाएँ वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से होकर या 10 किलोमीटर परिधी में से होकर गुजरती है, उनमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने से पूर्व Wildlife Clearance भी प्राप्त करना आवश्यक है।

Abstract of developmant project under FCA, 1980 as on 31.12.2021 (online & offline)

S. No.	Category /Deptt.	Proposal under consideration with							No. of cases in which in principle sanction has been issued	No. of cases in which final sanction issued (01.01.21 to 31.12.21)	Foreat area diverted (in Ha)	Area received	
		User Agency	Govt. of india	Govt. of Rajasthan	PCCF	CCF	DCF	Total				Non forest land (in Ha)	Degraded forest land (in Ha)
1	Approach Access	1	0	2	1	1	6	**11**	1	0	0	0	0
2	Dispensary/ Hospital	0	0	1	0	1	0	**2**	1	0	0	0	0
3	Drinking water	6	0	1	0	0	1	**8**	17	2	0.684	0	0
4	Irrigation	1	0	3	1	1	2	**8**	2	0	0	0	0
5	Mining	4	0	0	1	1	1	**7**	1	0	0	0	0
6	Optical Fibre Cable	8	0	3	4	2	4	**21**	13	3	0.6331	0	0
7	Pipeline	0	0	3	0	0	0	**3**	2	0	0	0	0
8	Road	54	0	11	3	7	9	**84**	86	24	14.2196	8.913	0
9	School	0	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0
10	Railway	0	0	0	0	0	0	**0**	2	0	0	0	0
11	Rehabilitation	0	0	0	0	0	0	**0**	1	0	0	0	0
12	Transmission Line	13	0	3	2	3	3	**24**	17	9	32.2683	0	58.1716
13	Others	10	0	0	1	0	1	**12**	4	0	0	0	0
Total		**97**	**0**	**27**	**13**	**16**	**28**	**181**	**147**	**38**	**47.805**	**8.913**	**58.1716**

This Statement is progressive as on 01.01.2022

अध्याय – 4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.60 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.87 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके।

प्रदेश की विषम परिस्थितियॉ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India),भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ''इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट'' प्रकाशित की जाती है। राजस्थान उन चुनिन्दा राज्यों में से है, जिसमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वनावरण में निरन्तर वृद्धि हुई है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2021 में भी राजस्थान में 25.45 वर्ग कि0मी0 वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्शायी गयी है।

4.1 वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषिंत वनों की पुरस्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

4.2 बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति

कार्य का विवरण	उपलब्धि			
	2018–19	2019–20	2020–21	(दिसम्बर, 2021 तक)
पौधारोपण (है0 में)	34798	28510	33511.32	44696.48
पौधारोपण (लाखों में)	203.556	179.649	215.23	253.12

* जिलेवार विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

4.3 वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कईं योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

4.3.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झून्झूनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर,) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिन्हित किया गया है।

इस परियोजना के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः–

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।''

इन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वृद्वि करते हुये आजिविका संवर्द्वन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं। गांव वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को गांव के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह परियोजना मूलतः 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी। इसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ है, जिसमें से 884.77 करोड़ का JICA द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है। जायका के साथ हुए ऋण अनुबंध की अक्टूबर 2021 तक वैधता तथा अवशेष ऋण राशि के कारण परियोजना कार्यावधि में तीन वर्ष की अभिवृद्धि वर्ष 2019–20 से 2021–2022 की गई है।

परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि करोड़ में)

Sr. No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore)
1	AFFORESTATION	423.28
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	1.63
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	46.92
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	84.36
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	16.89
6	COMMUNITY MOBILIZATION	65.42
7	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	6.34
8	PROJECT MANAGEMENT	29.82
9	MONITORING & EVALUATION	5.90
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	14.96
	TOTAL	**695.52**
11	PRICE ESCALATION	97.50
12	PHYSICAL CONTINGENCY	79.30
13	CONSULTING SERVICES	12.47
14	ADMINISTRATIVE COST	219.17
15	VAT & IMPORT TAX	14.00
16	INTEREST DURING CONSTRUCTION	27.50
17	COMMITMENT CHARGES	7.07
	TOTAL	457.01
	GRAND TOTAL	**1152.53**

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 27 मण्डल प्रबन्ध इकाईयों तथा 83 क्षेत्र प्रबन्ध इकाईयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है जिनके द्वारा उपरोक्त कार्यो में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलाजिकल पार्क (माचिया बायोलाजिकल पार्क जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलोजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जनगढ़ बायोलोजिकल

पार्क अप्रेल 2015, माचिया बायोलोजिकल पार्क जनवरी 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलोजिक पार्क जून 2016 में जनता के लिए खोल दिये गये हैं। इसके अलावा अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क कोटा का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में शुरू कर दिया गया था। जो 18 दिसम्बर, 2021 को पर्यटको के भ्रमण हेतु खोल दिया गया है।

उद्घाटन तिथि से दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न पार्कों में पहुंचे पर्यटकों एवं उनसे हुई आय का विवरण निम्न है :

क.स.	पार्क का नाम	उद्घाटन तिथि	पर्यटकों की संख्या (लाखों में)		कुल आय (रू0) (लाखों में)	
			2015–16 से 2020–21	2021–22	2015–16 से 2020–21	2021–22
1	नाहरगढ़ जैविक उद्यान,जयपुर	4 जून 2016	1888114	185960	84458220	9507070
2.	माचिया जैविक उद्यान,जोधपुर	20 जनवरी, 2016	1588313	186618	53345864	6065223
3.	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर	12 अप्रेल, 2015	1544210	98893	49540905	2514870
4.	अभेडा जैविक उद्यान,कोटा	18 दिसम्बर 2021				
		कुल योग	5020637	471471	187344989	18087163

आजीविका संवंर्धन गतिविधियों के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अब तक कुल 1957 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों की क्षमतावर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

Physical Progress from FY 2011-12 to 2021-22 Under RFBP Phase-II

Item	Unit	Project Target	Cumulative Achievement	Achievement %
Package - 1 : Afforestation				
Plantation	(Ha.)	83650	83676	100
Package - 2 : Agro Forestry				
Raising of Seedlings by SHGs	Nos	130	101	78
Trainings to SHGs	Nos	130	86	66
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)				
Anicut-I	Nos	600	600	100
Anicut-II	Nos	400	400	100
Check Dams	Cumt	200000	200000	100
Contour Bunding	Rmt	500000	500000	100
Percolation Tank	Nos	700	700	100
Renovation/restoration of TWHS	Nos	200	200	100
Silt Detention structure	Nos	300	300	100
Gabion Structures	Nos	500	500	100
Package - 4 : Biodiversity Conservation				
DLT Works	Ha	12000	12000	100
Development of water points	Nos	100	100	100
Biodiversity Closures	Ha	5000	5000	100
Package - 5 : Poverty Alleviation and Income Generation Activities				
No of SHG Formed	Nos	1950	1957	100
Mobilization of SHG	Nos	1950	1637	84
Livlihood improvement Activities	Nos	1950	1173	61
Package - 6 : Capacity Building, Training and Research				
VFPMC Members	Nos	1300	1291	99
NGOs training	Nos	6	7	117
FG/Cattel Guard Training	Nos	54	64	119
Range Officers/ ACFs	Nos	6	6	100
DCFs and Equivalent	Nos	2	2	100
Project Personnel	Nos	6	6	100
VFPMC Members	Nos	12	12	100
Overseas Study Tours (I)	Nos	5	0	0
Overseas Study Tours (II)	Nos	6	0	0
Overseas Training of Officers	Nos	20	0	0
Research: Rohida and Khejri	Ha	200	115	58
Extension camps/Field Visits by DMUs	Nos	1400	1241	89

Training to officer /Forest staff in GIS*	Persons	200	1032	516
Package - 7 : Community Mobilization				
VFPMC/EDC Formation & Strengthening	Nos.	650	650	100
Microplanning	Nos.	650	650	100
Entry Point Activities First Year	Nos.	650	623	96
Second Year	Nos.	650	642	99
Meeting Center for VFPMC	Nos.	650	594	91
CET Activities				
Awareness camp	Nos.	650	608	94
Workshop and Seminars at DMU Level	Nos.	135	112	83

Note:-परियोजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में सभी भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 2018–19 में 69065 है0 , वर्ष 2019–20 में 63145 है0 ,वर्ष 2020–21 में 49183 है0 क्षेत्र में केवल वृक्षारोपण संधारण कार्य करवाये गये थे। वर्ष 2021–22 में 33256 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण संधारण के कार्य किये जा रहे है।

Financial Progress FY. 2011-12 to 2021-22 (Rs. In lacs)

S. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Ach. upto 2020-21	2021-22		Grand Total
				RE	Ach. Up to Dec,2021	
1	AFFORESTATION	42328	59704.59	828.56	469.25	60173.84
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	163	80.53			80.53
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	4692	6247.49			6247.49
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	8436	12919.27		61.10	12980.37
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	1689	809.92			809.92
6	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	634	265.79		2.00	267.79
7	COMMUNITY MOBILIZATION	6542	5353.08			5353.08
8	PROJECT MANAGEMENT	2982	2306.07	40.75	19.91	2325.98
9	MONITORING & EVALUATION	590	227.35			227.35
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	1496	1721.17	74.25	61.81	1782.98
	Total A	**69552**	**89635.26**	**943.56**	**614.07**	**90249.33**
11	PRICE ESCALATION , PHYSICAL CONTINGENCY , CONSULTING SERVICES	18925				
	Total B	**88477**	**89635.26**	**943.56**	**614.07**	**90249.33**
12	ADMINISTRATIVE COST, VAT & IMPORT TAX, INTEREST DURING CONSTRUCTION, COMMITMENT CHARGES	26776	22141.08	156.44	85.43	22226.51
	Grand Total	**115253**	**111776.34**	**1100.00**	**699.50**	**112475.84**

विभाग अन्तर्गत राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 में दो नवीन परियोजनाऐं है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढावा देने के लिए नवीन परियोजना प्रस्ताव "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP) को Japan International Co-operation Agency (JICA) ds Rolling Plan में शामिल करने के लिए दिनांक 3.06.2020 को भारत सरकार के Department of Economic Affairs (D.E.A) , New Delhi द्वारा अनुमोदित किया गया था। परियोजना की Detailed Project Report (DPR) तैयार कर MoEF & CC नई दिल्ली को दिनांक 07.04.2021 को भिजवा दी गई है। माह जून 2021 में परियोजना की DPR को D.E.A New Delhi द्वारा JICA India को प्रस्तुत कर दिया गया। यह परियोजना राज्य के अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूंरू, चितौडगढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, एवं उदयपुर सहित 19 जिलों हेतु तैयार की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1803.42 करोड़ रू0 है, जिसमें श्रष्। का 1568.19 करोड़ रू0 तथा राज्य सरकार का 235.23 करोड़ रू0 अंश है।

बाह्य सहायता प्राप्त एक अन्य नई परियोजना Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP) राज्य के अलवर, बारां, भीलवाडा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धोलपुर, जयपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर एवं टोंक सहित 13 जिलों हेतु तैयार कर AFD France द्वारा वित्त पोि ात करवाई जा रही है। इस हेतु AFD France के दल द्वारा राज्य में माह अगस्त एवं नवम्बर 2021 में भ्रमण किया जा चुका है। प्रस्तावित इस परियोजना की अनुमानित लागत 1693.93 करोड़ रखी गई है। जिसमें AFD France का 1355.15 करोड़ तथा राज्य सरकार का 338.79 करोड़ रू0 अंश है। इस परियोजना की विस्त त रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

4.3.2 नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में चार चरणों में वर्ष 2012–13 से वन विकास कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं आम जनता के पौधवितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी सम्मिलित हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढाने एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटाने की दृष्टि से मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी कराया गया है।

4.3.2.1 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2020–21 तक 129775 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा संधारण कार्य सहित मार्च, 2021 तक 70093.54 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राशि रू. 2775.27 लाख व्यय किये जा चुके हैं। जिससे कि परियोजना के चारों चरणो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2021–22 तक का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार हैः–

क्र. सं.	परियोजना का चरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य (है.)	अर्जित वृक्षारोपण (है.)	कुल व्यय (लाखों में) (मार्च 2021 तक)
1	RIDF-XVIII Phase-I	33665.58	2012–13	52750	52750	29466.11
2	RIDF-XX Phase-II	28234.39	2014–15	43000	42950	23539.71
3	RIDF-XXII Phase-III	15761.24	2016–17	27400	27400	14372.99
4	RIDF-XXVI Phase-IV	15087.50	2020–21	21950	6675	2714.73
योग				**144920**	**129775**	**70093.54**

4.3.2.2 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत पंचम चरण हेतु 22100 है0 वृक्षारोपण एवं जल व मृदा संरक्षण कार्यो की नई परियोजना लागत राशि रू. 18550.21 लाख की वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की परियोजना पत्रांक 1370 दिनांक 23.06.2021 द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन उपरांत नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने हेतु भिजवायी गई है।

4.3.3 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, एपीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन आदि शर्तें अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है । उक्त राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है। इन अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

4.3.3.1 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के मुख्य बिन्दु

- राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जावेगी।
- यह राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा इसका प्रबंधन राजस्थान प्रतिकरात्मक

वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राज्य निधि में प्राप्त निधि राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी। राज्य निधि में अवशेष अव्यपगतीय होगा एवं जिस पर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा।

- एडहॉक कैम्पा में जमा राशि में 90 प्रतिशत राशि राज्य निधि में स्थानान्तरित की जावेगी तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।
- राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन एवं वन्यजीव के प्रबंधन किया जावेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संचालन समिति से अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।
- राज्य प्राधिकरण के प्रभावी संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहेगी तथा इसके सहायता के लिए एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति रहेगी।

4.3.3.2 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की कियान्विति

- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 जारी किये गये है। इन नियमों के तहत 80 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव प्रबंधन के लिये उपयोग में लायी जावेगी तथा 20 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिये किया जावेगा । राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 60 प्रतिशत रकम वन एवं वन्य जीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जायेगा तथा ब्याज का 40 प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जावेगा।
- राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जा चुकी है।
- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के लेखांकन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनौक 28.09.2018 को नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के कियान्वयन के लिये दिनांक 20.11.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रकिया) नियम, 2018 जारी किये हैं। जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष खोले जा चुके हैं।
- वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित कर दी गई है ।
- वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 284.92 करोड व अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 2.66 करोड कुल राशि रू. 287.58 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से माह दिसम्बर 2021 तक राशि रू. 74.27 करोड का व्यय हो चुका है । विगत तीन वर्षों का प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

4.3.3.3 स्टेट कैम्पा में गत चार वर्षों में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि–लाखों में)

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि लाखों में	किया गया व्यय	वि.वि.
2018-19	31.08.2018	16924.00	13282.25	व्यय बैंक में जमा राशि में से
2019-20	-	-	3649.37	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Govt. of Rajasthan	10000.00	8009.62	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
	योग	**10000.00**	**11658.99**	
2020-21	-	-	586.20	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Govt. of Rajasthan	25000.00	18651.14	व्यय कोषालय के माध्यम से
	योग	**25000.00**	**19237.34**	
2021-22 (Up to Dec. 2021)	Recd. From Govt. of Rajasthan	28758.03	7426.51	व्यय कोषालय के माध्यम से
	महायोग	**80682.03**	**51605.09**	

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2018–19 से 2021–22 (माह दिसम्बर 2021) तक कराये गये मुख्य कार्यों की प्रगति

नाम कार्य	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL	696.88 Ha.	747.75 Ha.	1054.016 Ha.	243.922 Ha.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) DFL	1909.68 Ha.	1862.84 Ha.	1093.83 Ha.	564.59 Ha.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग प्रथम वर्ष (पौधारोपण) ANR	5927.00 Ha.	6000.00 Ha.	9950.00 Ha.	16680.00 Ha.
सिल्वी पेस्ट्रोल मॉडल प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	-	-	-	835.00 Ha.
पक्की दीवार का निर्माण 4/6 फीट ऊंचाई	141654.72 Rmt.	141745.50 Rmt.	80539.45 Rmt.	900.00 Rmt. शेष आवटित कार्य प्रगति पर
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	6436 No.	6620 No.	7071.00 No.	आवटित कार्य प्रगति पर
एनीकट/गजलर/जल संरक्षण संरचानाओं का निर्माण	33 No.	81 No.	90.00 No.	9.00No. शेष आवटित कार्य प्रगति पर
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	26 No.	25 No.	9.00 No.	आवटित कार्य प्रगति पर
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	7 No.	7 No.	4.00 No.	आवटित कार्य प्रगति पर
रेक्स्यू सेन्टर	1 No.	-	-	-
वन सुरक्षा कार्यो हेतु वाहन (केन्टर/बोलेरो) खरीद	20 No. (Bolero)	-	-	-
मोटर साईकिल खरीद	159 No.	-	-	-
पैन्थर कन्जरवेशन रिजर्व	441.02 Lac Rs. (Jhalana Jaipur)	20.00 Lac Rs. (Jhalana Jaipur)	9.49 Lac Rs. (Jhalana Jaipur)	-
Project Leopard (works including Strengthening of prey base, construction of water holes, Shelter habitat development, Eco restoration wall Avoiding man-Animal conflict etc.) Kumbhalgarh & Raoli Todgarh Sanctuary	-	56.241 Lac Rs.	197.04 Lac Rs.	83.70 Lac Rs.
Conservation of Bansial Khetari Conservation reserve Jhunjunu asper project	149.38 Lac Rs.	69.92 Lac Rs.	76.29 Lac Rs.	8.26 Lac Rs.
Conservation of Bansial Khetari - Bagour Conservation Reserve Jhunjunu as per project	119.63 Lac Rs.	82.63 Lac Rs.	84.68 Lac Rs.	16.62 Lac Rs.
Conservation Reserve Beed Jhunjhunu as per Project	-	-	52.05 Lac Rs.	17.45 Lac Rs.
Mansamata Conservation Reserve, Jhunjhunu	-	-	-	3.68 Lac Rs.

Voluntary relocation of villages from Protected Areas	-	230.75 Lac Rs.	423.78 Lac Rs.	65.00 Lac Rs.
Conservation of Lesser Florican Conservation Reserve Sarwar Ajmer	-	56.34 Lac Rs.	69.50 Lac Rs.	आवटित कार्य प्रगति पर
Promotion of Natural regeneration through avoiding deforestaion (gas distrubution to forest department communities)	852.49 Lac Rs.	-	-	-

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 तक राशि रू. 2132.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक राशि रू. 29.42 लाख स्टेट कैम्पा से व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 तक 7.005 कि.मी. (2.5 मीटर ऊँची), 51.848 कि.मी. (2.5 मीटर ऊँची) दीवार का निर्माण तथा 490.00 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है।

महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना के अन्तर्गत जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा जिले में कैम्पा मद की राशि का उपयोग कर नगर वन स्थापित किये गये हैं । वर्ष 2020–21 तक कुल राशि रू. 404.80 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रू. 384.44 लाख व्यय किये गए। तथा वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक राशि रू. 3.65 लाख बकाया दायित्वों के तहत् आवंटित की गई है।

4.3.4 पर्यावरण वानिकी

आम जन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्रियान्विति की जा रही इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में रू. 275.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक राशि रू. 143.66 लाख व्यय किये जा चुके हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2021–22 में स्वीकृत प्रावधान राशि (रू. लाखो में)	दिसम्बर, 2021 तक व्यय राशि (रू. लाखो में)
1	पर्यावरण वृक्षारोपण	230.00	127.36
2	अशोक विहार जयपुर का विकास	10.00	4.66
3	स्मृति वन जयपुर का संधारण	10.00	8.83
4	पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा	15.00	0.00
5	गोरधन परिक्रमा मार्ग पर वृक्षारोपण	5.00	0
6	हर्बल गार्डन, अजमेर संधारण	5.00	2.81
	योग	**275.00**	**143.66**

4.3.5 परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 20000 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 3000 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 10176.83 लाख व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक 2940.61 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.6 जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में 10000 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 2900 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 6508.35 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2021 तक 2212.50 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.7 भाखड़ा व गंगनहर व क्षारोपण

प्रदेश के थार मरूस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पडने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखडा नहर, भाखडा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड भू–भाग की सिंचाई होती है। इन दोनो नहरों के किनारों के वृक्षारोपण के 2.2 लाख वृक्षों के परिपक्व होने के कारण उनका विदोहन विभाग द्वारा कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भाखडा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। भाखडा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष रू. 675.69 लाख व्यय किए जाकर 1137.30 रो0 कि.मी. (379.10 हैक्टेयर) वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2021 तक रू 367.85 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

भाखडा नहर वृक्षारोपण की प्रगति				
क.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016–17	360.76	167.95	650 आर.के.एम. (216 है0)
2.	2017–18	355.65	320.5	318 आर.के.एम. (106 है0)
3.	2018–19	350.00	344.90	900.48आर.के.एम. (300.16 है0)
4.	2019–20	589.70	493.52	1140 आर.के.एम. (380 है0)
5.	2020–21	434.83	426.60	495.99 आर.के.एम.(165.33 है0)
6	2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)	522.18	255.58	914.73 आर.के.एम.(304.91 है0)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति				
क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016–17	315.89	228.71	385 आर.के.एम. (128 है0)
2.	2017–18	274.50	274.35	237 आर.के.एम. (79 है0)
3.	2018–19	199.24	194.90	172.83 आर.के.एम. (57.61 है0)
4.	2019–20	153.51	118. 85	125 आर.के.एम. (41.67 है0)
5.	2020–21	153.51	150.46	220.50 आर.के.एम. (73.50 है0)
6.	2021–22(दिसम्बर, 2020 तक)	153.51	112.27	222.57 आर.के.एम. (74.19 है0)

4.3.8 पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढावा देने तथा वृक्षारोपण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये कांटेदार एवं चौडी पत्ती वाले 2 फीट उंचाई तक के पौधे रू. 5 प्रति पौधा की दर से जन साधारण को वितरित किये जाते हैं। राजकीय विभागों शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाइड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बडे पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है, तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा एवम् पौधों की आवश्यकता का आंकलन कर एक रू. प्रति पौधे की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जायेंगे परन्तु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आंकलन किये जाने का प्रावधान है कि वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान), आर.एफ.बी.पी. फेज–। रिवोल्विंग फंड (नोन प्लान) एवं नाबार्ड (प्लान) परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2020–21 में वितरित पौधे, वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2022–23 में वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार है:

नाम योजना	वर्ष 2020–21 में वितरित पौधे (लाखों में)	वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर तक वितरित पौधे (लाखों में)	आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में)	
			भौतिक	वित्तिय (रूपये)
फार्म फोरेस्ट्री	29.736	45.257	40.00	350.60
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	31.281	28.066	40.00	189.20
नाबार्ड परियोजना	4.433	1.173	10.00	88.55
योग	**65.45**	**74.496**	**90.00**	**628.35**

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 5.00 लाख बडे पौधों की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 5.00 लाख बडे पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये पृथक से रू. 169.40 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

घर–घर औषधि योजना : औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में औषधीय पौधों के सरंक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर–घर औषधि योजना के अन्तर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 20.04.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। बजट आवंटन पश्चात पौध तैयारी की कार्यवाही की गई। पौध परिवहन, प्रचार–प्रसार, जन जागृति आदि का बजट आवंटन कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.21(6) 2021–22 /विकास/ प्रमुवसं/1832–40, दिनांक 30.06.2021 को किया गया। माननीय वन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 14.07.2021 को उक्त योजना की समीक्षा बैठक ली गई। इस योजना का शुभारंभ 1 अगस्त, 2021 को किया गया। द्वितीय चरण का प्रारंभ 2 अक्टूबर, 2021 को किया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 24.01.2022 तक लक्ष्य 506.06 लाख के विरूद्ध 517.83 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है तथा 64.72 लाख परिवारों को लाभान्वित कर 102.33 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है।

4.3.9 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 2020–21 में केन्द्र सरकार द्वारा राशि 132.78 लाख की पुनः सत्यापित प्राप्त (रिवेलिडेट रिलीज) हुई है। जिसके अन्तर्गत 450 हैक्टेयर अग्रिम मृदा कार्य तथा 1400 हैक्टेयर पूर्व के वर्षों के संधारण कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2021–22 हेतु राशि रूपये 115.30 लाख की वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

4.3.10 साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्यादेशों दिनांक 17.10.2000 एवं दिनांक 24.10.2002 के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। उक्त आदेशों के क्रम में वर्तमान में राज्य में लगभग 6195 समितियां (ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं ईको डवलपमेंट कमेटी) गठित हैं। इन ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के सुदृढीकरण के लिए चालू वर्ष में 20.00 लाख रू. व्यय का प्रावधान है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक 3.72 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.11 नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाडमेर में है। इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 31.03.2020 तक कुल राशि रू. 2825.13 लाख व्यय की गई है।

4.3.12 विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (योजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की विभागीय कार्य ईकाई द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम देशी बबूल सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 2017–18 से माह दिसम्बर, 2021 की अवधि में किये गये पुनः वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वर्ष	पुनः वृक्षारोपण क्षेत्र (है0 में)
1	2017–18	597.80
2	2018–19	1028.26
3	2019–20	541.00
4	2020–21	427.48
5	2021–22 (दिसम्बर, 2021)	514.95

4.3.13 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2021–22 में वानिकी क्षेत्र में वन्यजीव तथा वानिकी इंटर्न्स पर राशि रू. 13.00 लाख, काष्ठ आधारित उद्योगों की लकडी आवश्यकताओं के अध्ययन पर राशि रू. 10 लाख, वानिकी प्रशिक्षण पर राशि रूपये 17.00 लाख तथा वानिकी अनुसंधान कार्यों पर राशि रूपये 20.00 लाख अर्थात कुल राशि रू. 60.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यो पर माह दिसम्बर, 2021 तक 25.02 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

अध्याय – 5

मृदा एवं जल संरक्षण

5.1 बाढ सम्भावित नदी परियाजनायें

आजादी के पश्चात् भारत सरकार द्वारा ढॉचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई व कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया। जिस तरह बांधों में नदी के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाली मिट्टी व जमाव को रोकने/कम करने हेतु नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उसी तरह कालान्तर में यह महसूस किया गया कि कुछ नदियों में बाढ़ की समस्या के कारण जान–माल के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान हो रहा था उसी के मध्यनजर पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदियों को भी केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया गया। उसी के क्रम में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, (कृषि), लूणी नदी परियोजना, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

उद्देश्य (Objectives) :– इन भू–संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं।

- जलग्रहण क्षेत्रों में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अद्योपतन (Degradation)को रोकना।
- जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवृति(Water Holding Capacity) को सुधारना तथा आर्द्रता की प्रवृति को सुधारना।
- अनुकूल भूमि उपयोग (Appropriate Land Use) प्रोत्साहित करना।
- नदीघाटी परियोजना अंतर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।
- जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चत करना।
- भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।
- उपरोक्त उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्य निर्देशिका 2008 अनुसार अति उच्च, उच्च एवं इनके समीपतम (Contiguous) मध्यम, कम, व बिल्कुल कम प्राथमिकता के वाटरशेड़ में

स्थित कृषि, बंजर एवं वन भूमि को उपचार रणनीति के तहत उपचारित किया जाता है। जिसके अर्न्तगत बन्ड़िग कार्य (Contour Vegetative Hedges, Contour Graded Bunding, Contour Staggered Trenching), बागवानी (Horticulture Plantation), बीजारोपण एवं पोधारोपण (Sowing & Planting), चारागाह विकास (Pastoral Development) तथा वाटरशेड़ में बहने वाले नालों को कच्ची एवं पक्की संरचनाओं का निर्माण कर उपचारित किया जाता है (Drainage Line Treatment by Earthen Loose Boulders and with Vegetative Support, Gabion, Percolation Tanks, Silt Detention Structure, Water Harvesting Structure,Spillway & Farm Ponds etc.)

उपचार की रणनीति (Strategy of Treatment):–

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु निम्न रणनीति प्रतिपादित की गई हैः–

- मौजूदा वनों की सुरक्षा कर वनस्पति घनत्व बढ़ाना।
- पहाड़ों से बहकर आते जलप्रवाह के वेग को कम करना।
- नमी संरक्षण।
- उबड़–खाबड़ बंजर भूमि के विस्तार की रोकथाम एवं समतलीकरण।
- असमतल कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि रकबा बढ़ाना।
- भू–क्षरण की रोकथाम।
- अतिरिक्त जलप्रवाह को रोककर फसल उत्पादन को बढ़ाना।
- स्थानीय किसानों को भू–संरक्षण की नवीन तकनीक से अवगत कराना।
- स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना।

उक्त समस्त कार्यो का एकीकृत प्रबंधन कर क्षेत्र का व्यापक विकास ही इस रणनीति का उद्देश्य है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 (31.12.2021) तक आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार रही है :–

एफपीआर बनास व लूणी परियोजना				
वित्तीय वर्ष	**उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या**	**क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**जलग्रहण संरचनाओं की संख्या**	**व्यय राशि (लाखों में)**
वर्ष 2018–19	38	4570	697	813.24
वर्ष 2019–20	38	5367	731	803.57
वर्ष 2020–21	59	10095	1366	1691.95
वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	47	3728	406	590.60

5.2 नदी घाटी परियोजनाऐं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बहुउद्वेश्यीय बांधों (Multipurpose Dams) का निर्माण किया गया है। इन बॉधों के निर्माण में विभिन्न योजना काल खंड़ों में अत्यधिक राशि का व्यय हुआ है। अतः बॉधों की राष्ट्र के लिये उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बॉधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान् केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। राष्ट्र की बहुउद्वेश्यीय योजनाओं में नदी घाटी परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संक्षिप्त में इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाडा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनायें क्रमशः वर्ष 1962,1969,1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं जो क्रमशः चितौड़गढ, बासवाड़ा व प्रतापगढ, सिरोही व उदयपुर जिले में स्थित है। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाडा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है। इन बांधों के जल भराव क्षमता अच्छी बने रहने से राज्य की जल सुरक्षा (Water Security), सिंचाई सुविधा इत्यादि सुनिश्चित रहती हैं। हाल ही में अनेक शहरों में भूजल स्थिति (Under ground water status) में अत्यधिक ह्रास होने के फलस्वरूप इन शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिये इन बड़े बॉधों पर निर्भरता बढ़ी है इसलिये इन बॉधों की बहुउद्वेश्यीय उपयोगिता को लम्बे समय तक बनाये रखने में भू0–संरक्षण नदी घाटी परियोजना का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। भू–संरक्षण नदी धाटी परियोजना अर्न्तगत वर्ष 2020–21 तक कुल 344 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके है जिनका कुल क्षेत्रफल 640008 हैक्टर है जो राजस्थान में स्थित उपरोक्त नदियों के कुल क्षेत्रफल 2496200 हैक्टर का 25 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2021–22 (31.12.2021) में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	चम्बल			माही			दांतीवाडा एवं साबरमती		
	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)
2018–19	373	48	144.94	970	34	99.99	553	1309	191.77
2019–20	1113	108	150.06	1450	621	189.09	1725	249	166.78
2020–21	2373	266	370.08	2532	1426	363.51	1759	1357	379.98
2021–22	1410	6	121.00	501	76	75.00	2366	6	204.00

5.3 साद अध्ययन

साद अध्ययन हेतु ऐसे उपजलग्रहण क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां एक मुख्य नाला उक्त उपजलग्रहण क्षेत्र में से निकलता हो एवं वर्षा का अधिकतर जल उस नाले में से गुजरता हो । साद अध्ययन कार्य नाले के आखिरी बिन्दु पर किया जाता है। इसमें नाले में गेज लगाकर/ सिल्ट मोनिटरिंग स्टेशन (एस0एम0एस0)का निर्माण कर साद अध्ययन किया जाता है एवं संकलित रेनफाल, रनऑफ एवं सेड़ीमेन्ट डेटा भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। वर्ष 2021–22 वर्षाकाल में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operationl Guide Line 2008) अनुसार निम्नानुसार उपजलग्रहण क्षेत्रों में साद अध्ययन कार्य करवाया गया।

क्र0सं0	परियोजना	साद स्थलों की संख्या
1	चम्बल	1
2	माही	1
3	दाँतीवाड़ा	0
4	साबरमती	1
	योग	3

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाऐं जो क्रमशः चम्बल परियोजना अंतर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अंतर्गत प्रतापगढ में स्थापित की हुई है जिनमें मौसम सम्बन्धी आंकड़े (Rainfall,Temperature Humidity,Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours,Weather report & Soil temperature etc.) संकलित कर पीरियड़ अनुसार I.M.D.पूना केन्द्र को भिजवाये जाते है।

अध्याय – 6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राजस्थान में वृहद स्तर पर करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयों वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते है। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

6.1 मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।
- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।

- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।

6.2 संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो के संपादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार /वर्ष वार स्थिति :–

6.2.1 वर्ष 2018–19

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस.ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	**अजमेर**	2	23	8	1	34	0	0	**34**
2	**बीकानेर**	0	12	7	6	25	0	0	**25**
3	**भरतपुर**	0	10	3	0	13	4	62	**79**
4	**जयपुर**	6	10	9	16	41	4	4	**49**
5	**जोधपुर**	0	5	9	1	15	0	5	**20**
6	**कोटा**	0	15	0	0	15	10	13	**38**
7	**उदयपुर**	0	11	5	0	16	0	0	**16**
	योग	**8**	**86**	**41**	**24**	**159**	**18**	**84**	**261**

6.2.2 वर्ष 2019–20 के दौरान 01.04.2019 से 31.12..2019 तक मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा सम्पादित मूल्यांकन कार्यो की संभागवार स्थिति

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्सकी सख्या					अग्रिम कार्यो की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस. ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अजमेर	0	15	4	1	20	0	0	20
2	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भरतपुर	0	2	1	0	03	0	0	03
4	जयपुर	0	7	2	1	10	0	0	10
5	जोधपुर	0	1	2	0	03	0	0	03
6	कोटा	0	1	1	0	02	10	0	02
7	उदयपुर	0	10	5	4	19	0	0	19
	योग राजस्थान	**0**	**36**	**15**	**6**	**57**	**0**	**0**	**57**

6.2.3 वर्ष 2020–21

वर्ष 2020–21 के दौरान 01.04.2020 से 31.03.2021 तक मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा सम्पादित मूल्यांकन कार्यो की संभागवार स्थिति

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्सकी सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस. ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अजमेर	6	22	12	4	44	-	17	61
2	बीकानेर	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भरतपुर	9	17	4	0	30	0	35	65
4	जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
5	जोधपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
6	कोटा	-	-	-	-	-	-	-	-
7	उदयपुर	-	3	18	5	26	-	61	87
	योग राजस्थान	15	42	34	9	100	0	13	213

नोट–बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मे मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत है।

6.3 स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2016–17 में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से मूल्यांकन करवाया गया है। माह जनवरी 2019 में आफरी द्वारा मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

CAMPA के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपणों में औसत जीवितता 49.37प्रतिशत पायी गई जिसमें < 10%, 10–20%, व 20–30% जीवितता प्रतिशत के 5 वृक्षारोपण प्रत्येक कैटेगिरी में पाये गये। 30–40 प्रतिशत जीवितता की 12 साईटस थी। 50 %से कम जीवितता की 35.8% साईटस, 50–70 % तथा 70–95 जीवितता की 17.9 % साईटस् पायी गई। मॉडल वाइज ANR, NFL व DFLश्रेणी की औसत जीवितता क्रमशः 45.47 % , 60.37% तथा 49.2% पायी गई।

इसी अवधि में 156 assets का भी सत्यापन किया गया जिसमें 19 Anicut type II, 18 Anicut type III,5 आरबोरेटम, 25 साइट्स बाउन्ड्री पिलर्स, 39 पक्की दीवार साईटस (1 साईट 12'उचांई, 25

साईटस् 4'उचांई व 13 साईटस् 6'उचांई), 29 वन चौकी, 14 रेंज फॉरेस्ट ऑफिस व 7 रेस्क्यू सेंटर्स का सत्यापन किया गया।

वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF—XVIII, Phase-I, 2013-14 to 2015-16) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर से करवाया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा 17 वन मण्डलो का मूल्यांकन कार्य किया गया है। सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS)जयपुर द्वारा नाबार्ड फेज–I परियोजनान्तर्गत करवाये गये वानिकी विकास कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूरा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक करवाये गये वृक्षारोपणों में जीवितता प्रतिशत 20%से कम 5 वृक्षारोपण, 21–40%5 वृक्षारोपण, 41–60 %के मध्य 107 वृक्षारोपण व 61 –80 %के मध्य 8 वृक्षारोपण पाये गये।

इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 3010 है0 कन्टूर बंडिंग, 132 LSCD, 65फार्म पॉन्डस, 44 गैबियन स्ट्रक्चर, 36 PCT/Nadi 36 WHS, 24 Anicut type II, 17 Anicut type-III, 11 Earthen Checkdams भी चैक किये गये। इसमें से 99.6% रिकॉर्ड व साईट के अनुसार सही पाये गये। 83 % संरचनाएं Functional पायी गयी।

6.4 तृतीय पक्ष मूल्यांकन (कैम्पा) वर्ष 2020–21

- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2021 में AFC India Limited New Delhi द्वारा 15 दिसंबर 2021 तक पूर्ण कर लिया गया है।
- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2022 में CDECS Jaipur द्वारा 15 जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – 7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

7.1 सक्षिप्त विवरण

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभयारण्य एवं 15 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 टाईगर रिजर्व भी है। सभी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11943.362 वर्ग कि.मी. है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

7.2 वन्य जीव प्रभाग द्वारा संपादित महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" "Project Elephant" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे है। रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण फाउण्डेशन में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाता है।

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। अभयारण्यों में मुख्यतः सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार के कार्य किये जाते है।

राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर

प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित "कॉन्सेप्ट प्लान" के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान, अभेड़ा जैविक उद्यान एवं नाहरगढ जैविक उद्यान विकसित किए गये हैं। बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं।

वन्यजीव अपराधों के नियंत्रण एवं अनुसंधान के लिये भी वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरों द्वारा जारी एडवाईजरी एवं राज्य वन नीति 2010 के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः 6(24)/एआर–3/2020 दिनांक 17.7.2020 के द्वारा एक हाई लेवल इन्टर ऐजेन्सी कोर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है ।

7.3 वर्ष 2020–21 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" "Project Elephant" एव "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

7.3.1 "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स"

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 33 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 2311.6145 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि 222.30 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर पॉईन्टस, फायर लाईन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे है।

7.3.2 रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व

- राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषण केन्द्र प्रवर्तित योजना"Project Tiger"के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में (RTR Rs. 909.11 + STR Rs. 733.32 + MHTR Rs. 542.80)रुपये 2185.23 लाख का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
- रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर 66 पुलिस कर्मियों (1 निरीक्षक तथा 65 कांस्टेबल) को सुरक्षा कार्यों पर लगा दिया गया है। सरिस्का व मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व मे STPF मे भर्ती की कार्यवाही की जा रही है । सरिस्का एवं मुकुन्दरा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बोर्डर होमगार्डस लगाये जा रहे है।
- बाघ परियोजना रणथम्भौर, मुकन्दरा एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।
- प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को गति प्रदान की गई है । वर्ष 2020–21 में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 51, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में 24 एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में 83 परिवारों का विस्थापन किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन पैकेज में बढ़ोतरी कर 10.00 लाख के स्थान पर 15.00 लाख प्रति परिवार कर दिया गया हैं।

- राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।
- संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटको के लिए ऑन लाईन बुकिंग, तत्काल बुकिंग सेवायें, आधा व पूरा दिन भ्रमण आदि व्यवस्थायें की गई है।
- राज्य वन्यजीव मण्डल की 12 वीं बैठक दिनांक 15.07.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार बाघों की बढ़ती संख्या को संरक्षित करने की दृष्टि से एक दीर्घ कालीन कार्य योजना बनाने हेतु राज्य आदेश दिनांक 10.08.2021 द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया हैं।

7.3.3 प्रोजेक्ट बस्टर्ड

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप गोडावण का प्रजनन हुआ है। राज्य सरकार, भारत सरकार व भारतीय वन्यजीव संस्थान के मध्य हुये त्रि–पक्षीय करार के अनुसार गोडावण के संरक्षण हेतु एक ''केप्टिव ब्रीडिंग सेन्टर'' की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सेटेलाईट फेसिलिटी जैसलमेर में की जायेगी। वर्तमान में सम चौकी पर एक अस्थाई व्यवस्था कर गोडावण के 16 चूजों का कृत्रिम प्रजनन कर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। इसी करार के तहत खरमोर के सरंक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय करार कर कृत्रिम प्रजनन हेतु अजमेर जिले में अस्थाई कृत्रिम प्रजनन केन्द्र बनाया गया है। जहां पर इस वर्ष खरमोर के 02 अण्डे खेतों से उठाकर प्रजन्न केन्द्र पर सफलतापूर्वक 02 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है।

7.3.4 कन्जर्वेशन रिजर्व

प्रदेश में 15 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये है, जिनका विवरण परिशिष्ठ–2 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.5 प्रोजेक्ट लेपर्ड

राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। पैंथर संरक्षण के लिये एक योजना ''प्रोजेक्ट लैपर्ड'' तैयार कर स्वीकृत की गई है। यह योजना झालाना जयपुर में क्रियान्वयनित की जा रही है । झालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई जहां पर्यटको का आगमन हुआ है। इस वर्ष राज्य योजना के तहत बस्सी, आबू पर्वत, जयसमन्द आदि में इसका कार्य कराया जा रहा है। शेरगढ़, खेतड़ी, कुम्भलगढ़ आदि क्षेत्रों में कैम्पा मद में प्रोजेक्ट लैपर्ड की गतिविधियां कराई जा रही है। झालाना से सटे क्षेत्र आमागढ़ में नई लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की जा रहीं हैं।

7.3.6 ईको–सेन्सिटिव जोन

सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों और 24 ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने है, जिसमें से 15 इको–सेन्सिटिव जोन के फाईनल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गये हैं,जिनका विवरण परिशिष्ठ–3 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.7 चिड़ियाघर

- माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर को पर्यटकों के लिए 20.01.2016 को खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2021–22 में 1.86 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 60.65 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुर को दिनांक 12.04.2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2021–22 में 0.72 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 24.77 लाख़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर को दिनांक 04.06.2016 को पर्यटको के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2021–22 में 1.06 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रुपये 51.88 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- जयपुर जन्तुआलय में भी इस वर्ष 0.95 लाख पर्यटक आये, जिनसे रुपये 17.80 लाख की आय हुई।
- कोटा जन्तुआलय मे वर्ष 2021–22 में 0.36 लाख पर्यटक आये, जिनसे रूपये 7.22 लाख की आय हुई। कोटा में अब अभेड़ा जैविक उद्यान का लोकार्पण किया गया है।
- बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाये जा रहे है।
- राज्य के टाईगर रिजर्व/वन्यजीव अभयारण्यों/जैविक उद्यान/चिड़ियाघरों में 299 बॉर्डर होमगार्ड को नियोजित किये गये है।
- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिडियाघरों के संधारण बाबत्जारी गाईड लाईन अनुसार राज्य के सभी जैविक उद्यानों एवं चिडियाघरों – नाहरगढ जैविक उद्यान व जयपुर चिडियाघर/माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर/ बीकानेर, चिड़ियाघर/ कोटा चिडियाघर एवं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर मे पशु पक्षियों के स्वच्छता (Sanitation), हाईजीन (Hygiene), रोग निरोधी (Prophylactic), पोषण (Nutrition) तथा बीमार जानवरों के प्रबन्धन इत्यादि सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प॰6 (50) प्र॰सु॰/अनु॰–3/2020 दिनांक 11.12.2020 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

अध्याय – 8
कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

- वन मण्डलों/जिलों में स्थित वन क्षेत्रों के प्रबंधन की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं समीक्षा करना।
- वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एंव निस्तारण ।
- वन भूमि के अमलदरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन आते हैं।

8.1 कार्य आयोजना

प्रत्येक वन मण्डल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती हैं। वर्तमान में कार्य आयोजना तैयारी हेतु सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्वीकृत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती हैं, में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को उनके जिलों से सम्बन्धित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है व कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षकगण एवं कार्य आयोजना अधिकारीयों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में कार्य आयोजना अधिकारी के पदस्थापन नहीं होने के कारण जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिलों को छोडकर बाकी सभी जिलों में सम्बन्धित प्रादेशिक वन मण्डल अधिकारी को कार्य आयोजना अधिकारी बनाया गया है।

राजस्थान के विभिन्न वनमण्डलों के वन क्षेत्रों (वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाएँ स्वीकृत करायी गई थी। वर्तमान में नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के अनुसार वनमण्डल के स्थान पर जिलेवार कार्य आयोजना तैयार की जा रही हैं।

- **मार्च 2020 तक समाप्त हो चुकी कार्य आयोजनाओं की स्थिति** :– जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिलों की कार्य आयोजना मार्च 2020 तक समाप्त हो चुकी हैं। नवीन कार्य आयोजना तैयार करवाया जाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जा चुकी हैं। उदयपुर जिले की कार्य आयोजना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- **मार्च 2021 में समाप्त हो चुकी कार्य आयोजनाओं की स्थिति** :– वन मण्डल बीकानेर, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, चूरू, दौसा व राजसमन्द की कार्य आयोजनाओं की अवधि माह मार्च 2021 में समाप्त होने के उपरान्त इन जिलों की प्रारम्भिक कार्य आयोजनाओं को स्टैंडिंग कन्सलटेटिव कमेटी से

स्वीकृत करवाया जाकर द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रगतिरत है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–I व स्टेज–II में शामिल बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर के वनक्षेत्रों की आगामी दो वर्षीय कार्य योजना (वर्किंग स्कीम) अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी हैं।

- **मार्च 2022 में समाप्त होने वाली कार्य आयोजनाओं की स्थितिः–** अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर, सीकर, झुन्झुनू, पाली, सिरोही एवं डूंगरपुर जिलों की प्रारम्भिक कार्य आयोजनाएं स्टैंडिंग कन्सलटेटिव कमेटी से स्वीकृत करवायी जाकर द्वितीय चरण की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।
- **मार्च 2023 में समाप्त होने वाली कार्य आयोजनाओं की स्थितिः–** वन मण्डल नागौर, बारां, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर एवं जालौर की प्रारम्भिक कार्य आयोजनाएं स्टैंडिंग कन्सलटेटिव कमेटी से स्वीकृत करवायी जाकर द्वितीय चरण की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

कार्य आयोजना को नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के अनुसार पूर्ण कराने हेतु एफ. ई.एस. (Foundation for Ecological Security) आनन्द, गुजरात का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding) भी किया जा चुका है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के प्रावधानों के तहत इस बार कार्य आयोजना तैयारी में आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सैंसिंग, जी.आई.एस. व जी.पी.एस. आधारित मोबाईल एप का उपयोग कर डाटा एकत्र कर जैव विविधता सर्वे, फोरेस्ट इन्वेन्ट्री व मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है जो कि पूर्व में तैयार की जाती रही कार्य आयोजना की प्रक्रिया से भिन्न है।

8.2 वन बन्दोबस्त

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित /रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत् अंतिम अधिसूचना हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। तदुपरांत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। गत तीन वर्षों में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क्षेत्रफल है0)

वन खण्डो की जारी अंतिम अधिसूचना			वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना		
2018–19	2019–20	2020–21	2018–19	2019–20	2020–21
320.874	597.49	0	367.977	500.093	1058.666

8.2.1 वन भूमि का विवरण

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 32864.62 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर की 9.60 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12176.23 वर्ग किलोमीटर आरक्षित 18564. 45 वर्ग किलोमीटर रक्षित तथा 2123.93 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। जिलेवार वन भूमि का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।

8.2.2 वन भूमि का सीमांकन

वन भूमि की पहचान व सुरक्षा हेतु योजना अनुसार वन भूमि का सीमांकन वन सीमा पर वन सीमा स्तम्भ लगा कर किया जाता है। वर्ष 2005 के मीनाराबंदी राज्य की वन भूमि की सीमा पर 2,83,943 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने प्रस्तावित है जिनमें से वर्ष 2019–20 तक 1,12,409 एवं वर्ष 2020–21 में 770 वन सीमा स्तम्भ लगाये जा चुके हैं। उपलब्ध बजट के अनुसार प्रतिवर्ष कुछ वन सीमा स्तम्भ लगाये जाते हैं।

8.2.3 प्रारम्भिक एवं प्लेन टेबल सर्वे का कार्य

क्र. स.	सर्वे कार्य का नाम	उपलब्धि							
		भौतिक (वर्ग किमी)				वित्तीय (लाखों में)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	प्रारम्भिक सर्वे	88.00	75.90	26.00	55.11	3.04	3.41	1.18	2.48
2	प्लेन टेबल सर्वे	122.41	34.61	11.00	19.89	10.74	3.36	1.09	1.93

8.2.4 वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद

विभाग के नाम दर्ज होना अर्थात अमलदरामद वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्य की कुल वन भूमि 32864.62 वर्ग किलोमीटर के विरूद्ध 28148.01 वर्ग किलोमीटर भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हो चुका है किन्तु अभी भी 4716.60 वर्ग किलोमीटर वन भूमि विभिन्न कारणों से अलमदरामद से शेष है। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3/99/जयपुर दिनांक 10.6.2019 द्वारा समिति का गठन स्थाई रूप से कर दिया गया है। इस हेतु इस समिति की नियमित बैठके आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमलदरामद का सतत प्रयास किया जा रहा है।

अध्याय – 9

वन अनुसंधान

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजस्थान की विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के कारण राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे है। मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) जयपुर कार्यालय के अधीन 4 अनुसंधान केन्द्र ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर, वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर, बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म बांकी उदयपुर कार्यरत है। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एंव जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालायें भी है।

9.1 पौधशालायें

इस कार्यालय अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा, जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना, जयपुर, एवं वन अनुसधांन फार्म बांकी उदयपुर कुल चार नर्सरियां है। जिनमें अनुसंधान हेतु एवं आम जनता को वितरण हेतु पौधे तैयार किये जाते है।

9.2 अनुसंधान परियोजनाएं

वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। वर्ष 2021 की आरएजी बैटक का आयोजन कोविड 19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य के कारण बडी संख्या में प्रतिभागियों के साथ उचित न होने के कारण आरएजी 2021 बैठक परिसंचरण द्वारा आयोजित की गई । सथी सदस्यो को प्रस्तावित अनुसंधान अभिलेख ई–मेल द्वारा प्रेषित कर इस वर्ष एवं पूर्व के वर्षो में किये गये कार्यो की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2021–22 में किये जाने वाले कार्यों का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्षो मे शोध परामर्शी समूह की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं का नाम एवं आवंटित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है : –

वर्ष	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	राशि लाखों में
2019–20	विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1.Creation of Ethno Medicinal Plant Garden	0.611
		2. Status Assessment, vegetative propagation and re introduction of Ephedra foliate (Unth Phog)	0.392
		3 Tree Talks : An awareness programme for stakeholders	0.553
		4 Establishment of a Forest Food Park	1.112
		5 Habitat improvement, renovation & biodiversity conservation work at Amrita Devi Park, Jaipur	1.975
	ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	6 . Establishment of Herbal Garden	2.021
	वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	7. Developing propagation protocol of some useful indigenous med. plants	0.17
	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	8. Development & Improvement of seedling seed orchards	2.671
		9. Establishment of Vermi composting unit.	0.480
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर	10. Collection of quality seeds from Seed production Areas	3.215
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	10. Organization of RAG meeting; documentation, publishing and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.80
2020–21	विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1.Maintenance of Ethno Medicinal Plant Garden	0.50
		2.Status Assessment, propagation and re- introduction of *Ephedra foliata* (Unth Phog)	0.25
		3.Establishment of a Forest Food Park,at World Forestry Arboretum, Jaipur	1.56
		4.Habitat Improvement, Renovation & Biodiversity conservation work at Amrita Devi park, Jaipur	4.58
	ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	5.Establishment of Herbal Garden at Gramm Farm Nursery, Jaipur	1.69
	वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	6.Developing propagation protocol of useful medicinal plants (Pterocarpus marsupium)	0.14
		7.Developing propagation technique of Buchanania (Charoli)	0.20
	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	8.Development & Improvement of seeding seed orchards	1.30
		9.Establishment of Vermi composting unit	0.53
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर	10.Collection of quality seeds from Seed production Areas	2.80
	Research Officer (Seed)	11.Improving facilities of seed testing laboratory, Grass Farm Jaipur	0.10
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	12. Organization of RAG meeting; procurement of books and periodicals; documentation, publishing and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders .	1.40

2021—22	आरबोरीकल्चरिष्ट, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1. To study the Application of Bio fertilizers in plant nursery	0.375
		2 Strengthening of Vermicomposting unit	0.20
		3 Habitat improvement, renovation and biodiversity work at Amrita Devi park, jaipur	1.50
		4 Maintenance of old projects (Name Trail, Red House, Ethno Medicinal Garden, Bamusetum, Forest food park)	1.20
	प्रभारी अधिकारी वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	5 To study the effect of pusa Hydrogel on plants.	0.60
		6 Strengthening of Vermicomposting unit.	0.20
		7 Maintenance of old projects (Bamusetum, State Tree Plot)	0.25
		8 Developing propagating technique of Buchanania lanzan (Charoli)	0.10
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर	9 Collection of Quality Seeds from SPAs of Rajasthan	5.00
	प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	10 To study the effect of pusa Hydrogel on plants.	0.60
		11 Strengthening of Vermicomposting unit.	0.15
		12 Development and Improvement of seedling seed orchards	1.03
	प्रभारी अधिकारी ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	13 Study and documentation of Flora of Grass Farm, jaipur	0.50
		14 To study the Application of Bio fertilizers in plant nursery	0.375
		15 Establishment of clonal plant orchard at Grass Farm Nursery, jaipur	2.70
		16 Establishment of climber (Lata-Kunj) at Grass Farm jaipur	1.80
		17 Strengthening of Vermicomposting unit.	0.25
		18 Establishment of a Herbal Garden, at Grass Farm Nursery jaipur	1.35
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	19 Facilitating soil, water and seed testing laboratory, Grass Farm, Jaipur	0.20
		20 To organise RAG meeting procurement of books and periodicals for ready reference, documentation, publication and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.62

9.3 बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed Production Area)

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

9.4 बीज एकत्रीकरण

बीज संग्रहण एवं भण्डारण रेंज जयपुर द्वारा बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजो का एकत्रीकरण कर विभाग के विभिन्न वन मण्डलों को उपलब्ध कराये गये। बीज संग्रहण का व ार्षवार विवरण विवरण निम्न प्रकार है।

बीज प्रजाति → / वर्ष	देशी बबूल	अकेशिया टोर्टलिस	खेजडी	कुमठा
2019–20	1500 कि.ग्रा.	300 कि.ग्रा	390 कि.ग्रा	1700 कि.ग्रा.
2020–21	2000 कि.ग्रा.	260 कि.ग्रा	240 कि.ग्रा	970 कि.ग्रा
2021–22 दिसम्बर तक	2290 कि.ग्रा	545 कि.ग्रा	-	-

9.5 बीज, मृदा व जल की जाँच

वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालायें न केवल वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है, अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की निःशुल्क जाँच कर उपर्युक्त सुझाव देती है। प्रयोगशालाओं मे प्राप्त सेंपलों की वर्षवार संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	नमूनों की संख्या (बीज)	नमूनों की संख्या (मृदा)	नमूनों की संख्या (जल)
2019–20	150	15	27
2020–21	162	12	04
2021–22 दिसम्बर तक	117	13	02

9.6 वन वर्धन की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार है :–

- विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजों का संग्रहण उपलब्ध बजट के अनुसार करना तथा उन्हें विभिन्न वन मंडलों को वितरित करना है।
- बीज प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त बीजों का अंकुरण प्रतिशत की जांच की जाती है।
- जल एवं मृदा प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों व आमजनों से प्राप्त जल एवं मृदा की जांच निःशुल्क की जाती है।
- ग्रास फार्म नर्सरी की मुख्य गतिविधि विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर उनका वितरण करना है।
- वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा क्लोनल सीड आरचर्ड सीडलीग सीड आरचर्ड अन्तर्राष्ट्रीय नीम ट्रायल, नीम प्रोजेनीट्रायल स्थित है जिनका संधारण किया जा रहा है।
- वन अनुसंधान फार्म बांकी, उदयपुर में मुख्य रूप से औषधीय पौधों का उत्पादन ट्रायल व अनुसंधान से सम्बन्धित है।
- विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संधारण किया जा रहा है। उपरोक्त सम्बन्धित गतिविधियों/उद्देश्य के लिये विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त भौतिक वित्तीय लक्ष्यों को आवंटन अनुसार प्राप्त किया जाता है। विभाग विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक वानिकी व कृषि अनुसंधान संस्थानों से निरन्तर अनुसंधान सम्बन्धित सूचनाओं व निष्कर्षों का आदान–प्रदान करता रहता है।

अध्याय – 10

विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

10.1 विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :–

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा।
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्वति अपनाना।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- पिछडे वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों का उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना तथा।
- राज्य के लिए राजस्व आय प्राप्ति करना आदि।

10.2 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–।। ,बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर।

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस कार्य का विदोहन उदयपुर जिलें में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप व क्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

10.3 विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ

10.3.1लकडी व्यापार योजना

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत चल रही योजनाओं में वृक्षों के पातन कार्य किये जाते है एवं अन्य नहरों के वृक्षारोपण क्षेत्रों में है जो वन विभाग के दायरे में नहीं आती है उसमें राज्य सरकार दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन योजना अनुमोदित करके पातन कार्य भी किया जाता है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में खडे परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्व रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग (लाख क्विंटल)	प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में)
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी		
1	2	3	4	5
2016-17	4.05	3.85	7.90	2143.40
2017-18	3.97	4.72	8.69	2659.85
2018-19	2.89	4.88	7.77	2969.29
2019-20	1.66	3.25	4.91	1797.80
2020-21	1.44	3.17	4.61	1430.44

लकडी व्यापार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक 433.91 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

10.3.2 बाँस विदोहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग प्लान (Working Plan) के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये है, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांसउत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2016–17	13.00	18.05	294.40
2017–18	11.00	11.02	318.22
2018–19	11.58	11.63	286.75
2019–20	10.50	10.50	306.75
2020–21	14.15	14.15	386.42

स्वीकृत आयोजना (Working Plan) 2021–22 से 2031–32 के अनुसार पातन कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तिय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक 230.41 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

10.4 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना

वन सम्पदा जैसे कि काष्ठ व अकाष्ठ तथा लघु वन उपजों का दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से बाजार में सर्वजन के उपभोग हेतु उपलब्ध कराना, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा उससे जुडी गतिविधियों व सेवाओं का संचालन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन की घोषणा राज्य बजट में दिनांक 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में की गई। इस बजट घोषणा की अनुपालना में दिनांक 16.12.2020 को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कम्पनीज एक्ट 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में किया गया।

10.4.1 राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन से होने वाले लाभ

- निगम राज्य के वन तथा गैर वन भूमि पर वनस्पति (काष्ठ व अकाष्ठ), लघु वन उपज, वन व रक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा इससे जुडे सेवाओं आदि वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास की प्रचुर संभावनाओं को सृजित करेगा, जिससे अब तक वन क्षेत्रों में विद्यमान वन सम्पदा पर स्थानीय दबाव व अवैध गतिविधियों से होने वाले दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
- राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन से विभागीय कार्यो में गुणात्मक सुधार, त्वरित निर्णय, कार्य क्षमता संवर्धन तथा लाभप्रदता आदि सकारात्मक योगदान वन विभाग को प्राप्त होगा।
- राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में विद्यमान सिंचाई तंत्र द्वारा पोषित अनेक वृक्षारोपण स्थलों पर स्थानीय प्रजाति तथा अन्य उन्नत प्रजाति के इमारती लकडियों का उत्पादन, दोहन एवं संवर्धन की प्रचुर संभावना है। इस उद्देश्य हेतु निगम का गठन अत्यंत ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त समूचे राज्य में गैर वन भूमि क्षेत्रों में विलायती बबूल तथा लेंटाना जैसे कॅटीली झाडियों के वाणिज्यिक दोहन उपरांत मूल्य संवर्धन कर इसे एक लाभदायक उद्यम के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए भी निगम का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

अध्याय – 11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाडा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष 2019 के लिए रू. 950/– प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2020 के लिए रू. 1010/– प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2021 के लिए रू. 1050/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इस वर्ष 2022 के लिए प्रति मानक बोरा निर्धारित की जानी है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित है:–

क्र. स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाई	पडत रही इकाई	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय (लाखों रू0 में)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2018–19	167	167	0	3349.42
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2019–20	167	134	33	1087.16
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2020–21	167	114	53	750.29

वर्ष 2021–22 के लिए राज्य की कुल 166 इकाइयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2022 तक लगभग 4032.87 लाख रू0 की आय प्राप्त होने की सम्भावना है। वर्ष 2021 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रू. 1050/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। वर्ष 2021 में कुल 3.17 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 3328.50 लाख रू. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया।

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

(लाख रू0 में)

क्र. स.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2021
		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	3462.31	1066.08	754.29	3711.46
2.	अन्य विविध आय	22.24	6.46	26.81	16.48
	योग	**3484.55**	**1072.54**	**781.10**	**3727.94**

वर्ष 2022 के लिए संग्रहण दर निर्धारित करने के लिए सलाहाकार समितियों का गठन किये जाने के लिए राज्य सरकार के क्रमांक एफ 10(1) वन/2002/पार्ट/ जयपुर, दिनांक 03.01.2022 से चार

संभागों के सलाहाकार समितियों के गठन की विज्ञप्ति जारी की गई। पांचवें संभाग अजमेर की राज्य सरकार द्वारा सलाहाकार समिति के गठन की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् ही सलाहाकार समितियों का गठन ऑनलाईन (Google Meet) के माध्यम से संग्रहण दर निर्धारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जायेगा।

वर्ष 2022 के लिए राज्य में कुल 166 तेंदू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, तथा संग्रहण दर निर्धारित होने के पश्चात् उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदा एवं द्वितीय निविदाएँ को संभाग स्तर पर खोलने की कार्यवाही जायेगी।

अनुसूचित क्षेत्रों से प्राप्त आय का संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण :–

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26(2) व 26(3) की पालना में वर्ष 2011–12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतो को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि 308. 72 लाख रूपये (268.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि 830.23 लाख रूपये प्रस्तावित किये गये थें। जिसमें से 295.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके है। तथा रू. 274.98 लाख तेन्दू पत्ता आय से एवं 160.89 लाख रू. बांस की आय से SFC (State Finance commission) पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 838.66 लाख रू. तेन्दू पत्ता से तथा 300.29 लाख रू. बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

अध्याय – 12

ई–गवर्नेंस एवं जी.आई.एस.

12.1 ई–गवर्नेंस कार्य

12.1.1 सोशल मीडिया का विकास

विभाग में प्रथम बार इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर पर विभाग की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्य कलापों से संबंधित सूचनाओं को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अंर्तगत वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा है।

12.1.2 घर–घर औषधि योजना के अंतर्गत आई.ई.सी.कार्य

विभाग में इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की गयी घर–घर औषधि योजना (GGAY) के व्यापक प्रचार प्रसार के कार्यों के अंतर्गत सोशल मीडिया पोस्ट, प्रदर्शनी, पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, लघु फिल्म, ऑडियो–विजुअल, रेडियो जिंगल, रेडियो वार्ता, कार्यशालाओं एवं मोबाईल संदेश आदि अनेक माध्यमों से कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है। साथ ही योजना की मॉनिटरिंग के लिए पृथक मोबाइल एप का निर्माण कराया गया है जिसके माध्यम से फील्ड स्तर का डाटा आसानी से एकत्र किया जाना संभव होगा।

12.1.3 आई0टी0 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य

विभाग में प्रथम बार फील्ड कार्यालयों विशेषतः रेंज एवं वन मण्डल कार्यालयों में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ करने के लिये रेंज कार्यालयों में डेटा स्टोरेज डिवाईस एवं पावर बैकअप डिवाईस उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि का प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही विभागीय ऑनलाईन एप्लीकेशन तथा ई–गवर्नेन्स संबंधी अन्य राजकीय ऑनलाईन एप्लीकेशन्स एवं फील्ड डेटा कम्यूनिकेशन हेतु वन रक्षक से सहायक वन संरक्षक तक के फील्ड कर्मचारियो एवं अधिकारियों को सिम आधारित इन्टरनेट सुविधा के पुनर्भरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त आई.टी. कार्यों में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि के संधारण हेतु भी राशि का प्रबंध किया गया है। इसी दिशा में आगे बढते हुए फील्ड अधिकारियों को कुछ स्तर के जी.पी.एस. डिवाईस, डिजिटल मैप डिस्प्ले डिवाईस, लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। इससे आई.टी. कार्यों के संचालन में सुगमता आवेगी तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

12.1.4 विभागीय वेबसाईट(www.forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण

विभागीय वेबसाइट विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें, आदेश, कार्यक्रम एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। विभागीय वेबसाईट पर विभाग की विभिन्न शाखाओं, उपयोगी प्रपत्र, महत्वपूर्ण लिंक द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई गई है।

12.1.5 बी.एस.आर. ऑनलाईन/प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/एम. बी. आदि मोड्यूल क्रियान्वयन

वित्त विभाग द्वारा विकसित आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत इन मोड्यूल्स को विकसित किया गया है।इसके माध्यम से कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कार्य प्राक्कलन, ऑन लाईन एम0बी0 कार्य सफलतापूर्वक फील्ड कार्यालयों द्वारा किये जा रहे हैं। आई0टी0 शाखा द्वारा यूजर मेनेजमेंट, प्रशिक्षण, तकनीकी समन्वय तथा विभाग का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

12.1.6 फोरेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (एफ.एम.डी.एस.एस.)

विभाग में FMDSS 2.0 अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से नवीनतम सुविधायें लिये हुए तैयार किया गया है। इसके अन्तर्गत अनेक गतिविधियों जैसे विकास, उत्पादन, वनसुरक्षा, वनअपराध, आदि के प्रबन्धन हेतु सुविधाऐं एवं मोनिटंरिग का कार्य किया जा रहा है।

12.1.7 ReAMS (ई–गजट)पोर्टल

राज्य सरकार के इस पोर्टल पर विभाग की ओर से विभिन्न अधिनियम, परिपत्र, नोटिफिकेशन इत्यादि को प्रकाशित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सूचना भेजे जाने पर ही राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा इसका उपयोग करते हुये 24 नोटिफिकेशन प्रकाशित किये गये हैं।

12.1.8 राज–काज पोर्टल

राज्य सरकार के राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति इस मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Online APARs, IPRs & Store Modules (Selected Offices)का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। आई.टी. शाखा द्वारा ऑनलाईन आवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के सम्बंध में समस्त प्रकार की तकनीकी कार्यवाही एवं यूजर मेनेजमेंट सम्बंधी कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है।

12.1.9 ई–प्रोक्योरमेन्ट (e-Procurement) एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट (SPPP) पोर्टल

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्यवाही विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा की जाती है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये रजिस्ट्रेशन किया जाकर यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। आगामी कार्यवाही सम्बंधित अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर सम्पन्न की जाती है। यह एक निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

12.1.10 राजकीय ई मेल @rajasthan.gov.in तथा SSO IDs का उपयोग

विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा राजकीय मेल के उपयोग हेतु समस्त कार्यालयों के साथ समन्वय करते हुए राजकीय मेल एवं SSO IDs के उपयोग हेतु कार्यवाही की जाती है। साथ ही इस सम्बंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण बाबत् सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ समन्वय कर कार्यवाही की जाती है।

12.1.11 ई–ग्रीनवॉच पोर्टल

भारत सरकार द्वारा बनाये गये ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर वन मंडलों द्वारा वृक्षरोपण एवं अन्य विकास कार्यों का डेटा अपलोड किया जाता है। आई.टी. शाखा द्वारा यूजर नेम एवं पासवर्ड मेनेजमेंट, रिपोर्टिंग कार्य तथा तकनीकी सहयोग का कार्य प्राथमिकता से किया जाता है। साथ ही मुख्यालय स्तर से विकास, कैम्पा एवं मूल्यांकन शाखा से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यों में फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून एवं एन.आई.सी. भारत सरकार के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुधार की कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर आई.टी. शाखा द्वारा की जा रही है।

12.1.12 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं ऑनलाईन मीटिंग

विभाग में मुख्यालय स्तर पर अरण्य भवन में सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। इस हेतु अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा सकती है जिसमें संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ली जा रही है। कोविड–19 की परिस्थितियों के बाद इस वर्ष माह दिसम्बर 2021 तक लगभग 113 बैठकें की जा चुकी है।

12.2 जी0आई0एस0 अनुभाग

12.2.1 वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन कार्य:

इसके अंतर्गत विभाग में डिजिटाईज्ड की गई वन सीमाओं में उत्तरोत्तर गुणवत्ता सुधार की कार्यवाही स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से की जा रही है। वन मंडल गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, छतरगढ में अतिरिक्त प्रयास कर वनखंडों की सीमाओं का प्राथमिक स्तर पर डिजिटाईज्ड किया गया है जिसे अगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।

12.2.2 डिजिटाईज्ड वन सीमा का उपयोग

विभाग में डिजिटाईज्ड वन सीमा का विभिन्न प्रकार के प्लानिंग कार्यों जैसे फोरेस्ट फायर प्लानिंग कार्य, वनरक्षक चोकी एवं अन्य Assets हेतु भवनों हेतु बजट आवंटन प्लानिंग कार्य, कार्य आयोजना हेतु मैपिंग एवं डेटा एकत्रीकरण, वन्य जीव क्षेत्रों हेतु क्षेत्र E.S.Z. एवं अन्य प्लानिंग कार्य, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उनकी मांग के अनुरूप डेटा तैयार करना जैसे अनेक कार्य किये गये।

अध्याय–13

मानव संसाधन विकास

13.1 वन प्रशिक्षण

वनों पर बढते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नये प्रयोगों, नई सूचनाओं प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जावें। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरुप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थाऐं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान, तालछापर में स्थित है, जो कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के सन्दर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैद्यता बढाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाऐ जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार है :

13.2 राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर :

वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षुओं का ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रशिक्षण निम्नानुसार आयोजित किए गये :–

13.2.1 कनिष्ठ सहायकों/वरिष्ठ सहायकों का ऑफलाईन प्रशिक्षण :

प्रथम चरण में विभाग में कार्यरत अजमेर एवं जयपुर सम्भाग के 38 कनिष्ठ एंव वरिष्ठ सहायकों को दिनांक 04.10.2021 से 06.10.2021 प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें R.T.P.P. Act, Office Policy, Basic of Store Purchase through Tender, G.F. & A.R. विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

द्वितीय चरण में कोटा, भरतपुर, (वन्यजीव) कोटा, डी.ओ.डी. सर्किल, पी.सी.सी.एफ. कार्यालय के 35 कनिष्ठ एंव वरिष्ठ सहायकों को दिनांक 25.10.2021 से 27.10.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें R.T.P.P. Act, Office Policy, Basic of Store Purchase Through Tender, G.F. & A.R. विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.2 वनपाल एवं सहायक वनपाल हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण :

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Fundamental of Forestry" : विभाग में कार्यरत कुल 1015 वनपाल एवं सहायक वनपालों को दो चरणों में प्रशिक्षित किया गया।

प्रथम चरण में दो पारियों में कोटा, भरतपुर, जोधपुर एवं बीकानेर सम्भाग के वनपाल एवं सहायक वनपालों को दिनांक 28.09.2021 से 30.09.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय चरण में दो पारियों में उदयपुर प्रोजेक्ट, जयपुर एवं अजमेर सम्भाग के वनपाल एवं सहायक वनपालों को दिनांक 04.10.2021 से 06.10.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें Rajasthan Forest Act 1953, Successful Plantation, Medicinal Plants, RET Species, Plantation Activities, Confiscation of Vehicle:-Provision & Procedure आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.3 वनरक्षकों हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण :

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Fundamental of Wildlife Management, Crime & Control" : विभाग में कार्यरत कुल 533 वनरक्षकों को पांच चरणों में प्रशिक्षित किया गया।

प्रथम चरण में बीकानेर, जोधपुर सम्भाग के वनरक्षकों को दिनांक 20.10.2021 से 22.10.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया एवं द्वितीय चरण में जयपुर एवं अजमेर सम्भाग के वनरक्षकों को दिनांक 25.10.2021 से 27.10.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। तृतीय चरण में कोटा एवं भरतपुर सम्भाग के वनरक्षकों को दिनांक 09.11.2021 से 11.11.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। चतुर्थ चरण में उदयपुर सर्किल, प्रोजेक्ट सर्किल, डी.ओ.डी. सर्किल, सिल्वीकल्चर सर्किल के वनरक्षकों को दिनांक 15.11.2021 से 17.11.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। अन्तिम चरण में वन्यजीव सम्भाग के समस्त डिविजनों में कार्यरत वनरक्षकों को दिनांक 22.11.2021 से 24.11.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया।

जिसमें Wildlife Protection Act 1972, Declaration of National Park, Identification of Wild animals, Illegal Trade of Wildlife Articles, Important Sections of IPC and CrPc, Wildlife Crime, Case Diary Preparation, Case Study of Salman Khan विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.4 उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक हेतु ऑफलाईन प्रशिक्षण :

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Inner Engineering Through Knowing one Self"

विभाग में कार्यरत सभी सम्भागों के 34 उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक को दिनांक 29.07.2021 से 30.07.2021 तक प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें टेक्निकल सेशन–I Connect With Mental Model/ Pattern/Frames/Blind Spots तथा टेक्निकल सेशन–II Connecting With Others: Understanding behaviour come from आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.5 क्षेत्रीय वन अधिकारी हेतु ऑफलाईन प्रशिक्षण :

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Wildlife Management, Crime & Control"

विभाग में कार्यरत सभी सम्भागों के 83 क्षेत्रीय वन अधिकारियों को दिनांक 08.11.2021 से 26.11.2021 तक तीन चरणों में ऑफलाईन प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम चरण में दिनांक 08 से 12 नवम्बर 2021तक बीकानेर, भरतपुर एवं जोधपुर सम्भाग, द्वितीय चरण में दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2021 तक जयपुर,

अजमेर, उदयपुर सम्भाग, प्रोजेक्ट, डी.ओ.डी. एवं सिल्वा तृतीय चरण में दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2021तक सभी वन्यजीव सम्भागों के क्षेत्रीय वन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें Wildlife Protection Act 1972, Declaration of National Park, Identification of Wild animals, Illegal Trade of Wildlife Articles, Important Sections of IPC and CrPc, Wildlife Crime, Case Diary Preparation, Case Study of Salman Khan विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Forestry Protection, Management and Bio Diversity Conservation"

माह दिसम्बर 2021 में सभी सम्भागों के 84 क्षेत्रीय वन अधिकारियों को दिनांक 29.11.2021 से 24.12.2021 तक ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रशिक्षण कुल तीन चरणों में दिया गया। प्रथम चरण में दिनांक 29.11.2021 से 03.12.2021तक बीकानेर, भरतपुर एवं जोधपुर सम्भाग, द्वितीय चरण में 06 से 10 दिसम्बर 2021तक जयपुर, अजमेर, उदयपुर, प्रोजेक्ट, डी.ओ.डी. एवं सिल्वा तृतीय चरण में दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2021 में कोविड महामारी के प्रसार के मद्देनज़र सभी वन्यजीव सम्भागों के क्षेत्रीय वन अधिकारियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें Rajasthan Forest Act 1953, Successful Plantation, Medicinal Plants, RETSpecies Plantation Activities, Confiscation of Vehicle:-Provision & Procedure, IPC and CrPc, Forest Land Record, G.T. Sheet , GazetteNotification, FCA 1980, Forest Boundary Pillars, खसरा, जमाबन्दी, आरा मशीन रुल, आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.6 आई.एफ.एस./आर.एफ.एस. (सीनियर एक्जीक्यूटीव/पॉलिसी ड्राईवर) की मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में सेमिनार :

मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में सभी सम्भागों के 32 आई.एफ.एस./आर.एफ.एस. उप वन संरक्षक (सीनियर एक्जीक्यूटीव/पॉलिसी ड्राईवर) हेतु दिनांक 11.11.2021 से 13.11.2021 तक मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में तीन दिवसीय सेमिनार **"Seminar for Senior Executive and Policy Driver"** आयोजित किया गया। इस सेमिनार में वन्यजीव शिकार, Tracking of Wildlife, Conservation of Riverine Eco System, Human Wildlife Conflict Mitigation, Use of Advanced Technology in Wildlife Monitoring वन्यजीव कानून, आदि विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही, विभाग के उच्चाधिकारियों को मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व एवं चम्बल वन्यजीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराया गया।

13.3 मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर :

13.3.1 वनपालों हेतु आधारभूत प्रशिक्षण :

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में दिनांक 20.01.2020 से 18.10.2021 तक अनुकम्पात्मक नियुक्ति से नियुक्त सभी सम्भागों के 32 वनपालों को छः माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है। जहॉ उनको वन वनस्पति, वन सर्वे, वन मापिकी, वन्यजीव प्रबंधन, वन लेखा नियम, वन संरक्षण अधिनियम, नर्सरी मेनेजमेंट का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक अध्ययन कराया गया। कोविड महामारी की वजह से यह प्रशिक्षण विलम्ब से समाप्त हुआ।

13.3.2 वनपाल, सहायक वनपाल हेतु Forestry Management विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः

विभाग में कार्यरत सभी सम्भागों के कुल 184 वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षक को दिनांक 08.11.2021 से 17.12.2021 तक कुल 06 चरणों में ऑफलाईन प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें उनको वन प्रबन्धन प्रशिक्षण, वन वनस्पति, वन सर्वे, वन मापिकी, वन्यजीव, मेनेजमेंट, वन लेखा नियम, वन संरक्षण अधिनियम, नर्सरी मेनेजमेंट का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक अध्ययन कराया गया।

13.4 वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर :

वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों हेतु Wildlife Management विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में विभाग मे कार्यरत सभी संभागों के 171 वनपाल, सहायक वनपाल, वनरक्षकों को दिनांक 08.11.2021 से 17.12.2021 तक कुल 06 चरणों में पांच दिवसीय ऑफलाईन प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें उनको Wildlife Protection Act 1972, Declaration of National Park, Identification of Wild animals, Illegal Trade of Wildlife Articles, Important Sections of IPC and CrPc, Wildlife Crime, Case Diary Preparation, Case Study of Salman Khan विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया एवं वन्यजीवों के सम्बन्ध में व्यापक सैद्धान्तिक अध्ययन एवं प्रायोगिक अध्ययन कराया गया।

13.5. वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्थान तालछापर, चुरु :

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में वन्यजीव प्रबन्धन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान, तालछापर (चुरु)में स्थापित किया गया।

विभाग में कार्यरत सीकर, झुन्झुनु एवं चुरु वन मण्डल के 30 सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वनपालों को एक दिवसीय ऑफलाईन उद्घाटन कार्यशाला माननीय वनमंत्री महोदय की उपस्थिति में "Habitat Management & Rescue Rehabilitation of Wild Ungulates Learning from Talchhapar" दिनांक 01.10.2021 को आयोजित की गई।

जिसमें तालछापर वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी के बारे में Introduction and Future Prospectus as a Wildlife Training Centre, Biodiversity of Talchhapar Wildlife Sanctuary, Talchhapar Management and Rescue Rehabilitation आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

राजस्थान राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण (क्षेत्रफल–वर्ग किलोमीटर में)
31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	जिला	आरक्षित वन	रक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल वन भूमि
1	अजमेर	194.99	421.69	1.89	618.57
2	भीलवाडा	437.80	273.71	67.55	779.06
3	नागौर	0.80	206.28	35.32	242.40
4	टोंक	101.42	229.19	2.97	333.58
5	बीकानेर	0.00	778.38	472.37	1250.75
6	चुरू	7.20	48.58	17.96	73.73
7	श्रीगंगाानगर	0.00	238.42	395.02	633.44
8	हनुमानगढ	0.00	113.37	126.09	239.46
9	भरतपुर	0.00	422.46	12.49	434.94
10	धौलपुर	7.92	597.73	44.03	649.68
11	करौली	62.99	1693.13	54.61	1810.73
12	सवाई माधोपुर	834.79	118.20	22.08	975.07
13	जयपुर	672.97	263.47	5.48	941.92
14	झुंझुनू	6.02	399.33	0.00	405.36
15	सीकर	9.92	622.40	9.22	641.54
16	अलवर	1010.78	641.18	132.69	1784.66
17	दौसा	134.87	149.36	0.36	284.59
18	जोधपुर	4.68	184.99	55.46	245.13
19	बाडमेर	20.30	569.02	36.66	625.98
20	जैसलमेर	0.00	241.45	340.56	582.01
21	जालौर	126.13	302.22	83.09	511.44
22	पाली	816.56	144.76	2.26	963.58
23	सिरोही	614.04	985.43	42.61	1642.08
24	कोटा	837.63	452.58	77.38	1367.59
25	बांरा	0.00	2233.03	20.40	2253.42
26	बून्दी	867.76	680.85	19.25	1567.86
27	झाालावाड	314.72	946.60	25.39	1286.72
28	उदयपुर	2654.06	1494.65	13.21	4161.92
29	बांसवाडा	0.00	1006.33	0.66	1007.00
30	चित्तौडगढ	1200.75	587.11	0.75	1788.61
31	डूगंरपुर	257.08	435.71	0.51	693.30
32	प्रतापगढ	702.66	963.65	0.62	1666.92
33	राजसंमद	277.41	119.20	4.98	401.58
योग		**12176.24**	**18564.45**	**2123.93**	**32864.62**

LIST OF PROTECTED AREAS IN RAJASTHAN				
S.no	**Protected Area**	**District**	**Area (Sq. Km)**	**Notification no. and date**
A	**National Park**			
1	Keoladeo National Park	Bharatpur	28.73	F3(5)(9)/8/72/Dated 27.08.1981
2	Mukundra Hills National Park	Kota, Chittorgarh	199.55	F11(56)Van/2011/Part Dated 09.01.2012 Overlap with Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
3	Ranthambhore National Park	Sawai Madhopur	282.03	F11(26)Revenue/8/80/ Dated 01.11.1980
	TOTAL		**510.31**	Area overlap between Sanctuaries and National Parks exists which has been reduced in respective Sanctuaries
B	**Wildlife Sanctuaries**			
1	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	170.65	F11(1)/Enviorment/ Dated 07.10.1985 and F1(71)Van/Band Baretha/ Part, Jaipur Dated 23.03.2021
2	Bassi Sanctuary	Chittorgarh	138.69	F11(41)/Revenue/8/86/ Dated 29.08.1988
3	Bhensrodgarh Sanctuary	Chittorgarh	201.40	F11(44)/Revenue/8/81/ Dated 05.02.1983
4	Darrah Sanctuary	Kota, Jhalawar	227.64	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 Overlap with Mukundara Hills National Park. Area based on MHTR notifications
5	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00	F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980
6	Jaisamand Sanctuary	Udaipur	52.34	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
7	Jamwagarh Sanctuary	Jaipur	300.00	F11(12)Revenue/8/80/ Dated 31.05.1982
8	Jawaharsagar Sanctuary	Kota, Bundi, Chittorgarh	194.59000	F11(5)13/Revenue/8/73/ Dated 09.10.1975 Overlap with Mukundara Hills National Park Area based on MHTR notifications
9	Keladevi Sanctuary	Karoli, Sawai Madhopur	676.82	F11(28)/Revenue/8/83/ Dated 19.07.1983
10	Kesarbagh Sanctuary	Dholpur	14.76	F39(26)FOR/55/ Dated 07.11.1955
11	Kumbhalgarh Sanctuary	Rajsamand, Udaipur, Pali	610.520	F10(26)Revenue/A/71/ Dated 13.07.1971
12	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	326.10	P.11(40)Van/97/ Dated 15.04.2008

13	Nahargarh Sanctuary	Jaipur	52.40	F11(39)Revenue/8/80 Dated 22.09.1980
14	National Chambal Ghariyal Sanctuary	Kota, Bundi, Sawaimadhopur, Karoli, Dholpur	564.03	F11(39)Revenue/8/78/ Dated 07.12.1979 Overlap with Mukundara Hills National Park Area as per DGPS survey
15	Phulwari ki Naal Sanctuary	Udaipur	511.41	F11(1)/Revenue/8/83/ Dated 06.10.1983
16	Ramgarh Vishdhari Sanctuary	Bundi	303.05	F11(1)/Revenue/8/79/ Dated 20.05.1982 After de-notification
17	Ramsagar Sanctuary	Dholpur	34.40	F39(2)FOR/55/ Dated 07.11.1955
18	Sajjangarh Sanctuary	Udaipur	5.19	F11(64)/Revenue/8/86/ Dated 17.02.1987
19	Sariska 'A' Sanctuary	Alwar	3.01	P1(24)Van/08/ Dated 20.06.2012
20	Sariska Sanctuary	Alwar	491.99	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
21	Sawaimadhopur Sanctuary	Sawai Madhopur	131.30	F/39/(2)For/55 dated 07.11.1955 Overlap with Ranthambhore National Park
22	Sawaimansingh Sanctuary	Sawai Madhopur	113.07	F11(28)/Revenue/8/84/ Dated 30.11.1984
23	Shergarh Sanctuary	Baran	81.67	F11(35)/Revenue/8/83/ Dated 30.07.1983
24	Sitamata Sanctuary	Udaipur, Chittorgarh	422.94	F11(9)Revenue/8/78/ Dated 02.01.1979
25	Talchappar Sanctuary	Churu	7.19	F379/Revenue/8/59/ Dated 04.10.1962
26	Todgarh Raoli Sanctuary	Rajsamand, Ajmer, Pali	495.27	F11(56)/Revenue/8/82/ Dated 28.09.1983
27	Van Vihar Sanctuary	Dholpur	25.60	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
	TOTAL		**8987.195**	**Excluding overlaps with National Parks and among Sanctuaries**

C	Conservation Reserves			
1	Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve	Jhunjhunu	39.66	F3(13) FOREST/ 2016 dated 10.04.2018
2	Bansial-Khetri Conservation Reserve	Jhunjhunu	70.1834	F3(13) FOREST/ 2016 dated 01.03.2017
3	Beed Jhunjunu Conservation Reserve	Jhunjhunu	10.4748	P.3(47)Van/2008/ Dated 09.03.2012
4	Bisalpur Conservation Reserve	Tonk	48.31	P.3(19)Van/2006/ Dated 13.10.2008
5	Gogelav Conservation Reserve	Nagaur	3.58	P.3(17)Van/2011/ Dated 09.03.2012
6	Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve	Jodhpur	2.3187	P.3(2)Van/2011/ Dated 15.12.2011
7	Jawai Bandh Leapord Conservation Reserve II	Pali	61.98	F3(4) FOREST/ 2012 PT dated 15.06.2018
8	Jawaibandh Leopard Conservation Reserve	Pali	19.79	F3(1) FOREST/ 2012 dated 27.02.2013
9	Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve	Bikaner	56.4662	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
10	Mansa Mata Conservation Reserve	Jhunjhunu	102.31	F3(9) FOREST/ 2013 Jaipur dated 18.11.2019
11	Rotu Conservation Reserve	Nagaur	0.7286	P.3(8)Van/2011/ Dated 29.05.2012
12	Shahbad Conservation Reserve	Baran	189.3961	F4(12) Van/ 2017 dated 28.10.2021
13	Shakambari Conservation Reserve	Sikar, Jhunjhunu	131.00	P.3(16)Van/2009/ Dated 09.02.2012
14	Sundhamata Conservation Reserve	Jalor, Sirohi	117.4892	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
15	Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve	Kota	2.72	F3(1) FOREST/ 2012 dated 5.11.2012
	TOTAL		**856.407**	
D	**Tiger Reserves**			
1	Ranthambhore Tiger Reserve	Sawaimadhopur, Karauli, Bundi, Tonk	1113.36	F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawaimadhopur, Sawaimansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary.
			297.92	F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012(Buffer Notification) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawai madhopur, Sawai mansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary.

2	Sariska Tiger Reserve	Alwar, Jaipur	881.11	F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary
			332.23	F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012(Buffer Notification) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary
3	Mukundara Hills Tiger Reserve	Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh	417.17	F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013(CTH Notification) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
			342.82	F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013(Buffer Notification) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
	TOTAL		**1589.45**	**Excluding overlaps with National Parks and Sanctuaries**
	TOTAL AREA		**11943.362**	Excluding all overlaps between Tiger Reserves, National Parks and Sanctuaries
E	**Preliminary Notification**			
1	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00	F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980
2	Sariska National Park	Alwar		F11(22)Raj-8/78 Jaipur,Dated27.08.1982
3	Kumbhalgarh National Park	Pali,Udaipur & Rajsamand		F3(6)Van/2011 Jaipur,Dated 30.11.2011
4	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	197.855	F1(71)Van/Band Baretha/ Part, Jaipur Dated 23.03.2021
	Total		3359.86	

RAJASTHAN PROTECTED AREA ESZ NOTIFICATIONS STATUS AS ON 01.01.2022				
A.Final Notification Issued (15)				
S.No.	**Proctected Area**	**Distance from PA boundary**	**ESZ Area (sq.km)**	**Final Notification No.**
1	Bandh Baretha WLS	1.5 m to 5 km	204.16	S.O. 6319(E) [26.12.2018] & S.O. 1929(E) (18.05.2021)
2	Bassi WLS	0 to 3 km	108	S.O. 1717(E) [08.04.2021/30.04.2021]
3	Bhainsrodgarh WLS 275.465 sq.km	0 to 9.6 km	304.7	S.O.3683(E) [10.09.2021]
4	Jaisamand WLS	1.6 km to 8.90 km	220.118	S.O. 2631(E) [06.08.2020]
5	Jamwaramgarh WLS	100 m to 1 km	77.56	S.O. 6212(E) [18.12.2018]
6	Keoladeo National Park	500 m to 1.5 km	28.73	S.O. 2608(E) [19.07.2019] & S.O. 814(E) [21.02.2020]
7	Kesarbagh WLS	1 km uniform	18.3	S.O. 2641(E) [28.08.2020]
8	MHNP, Darra WLS & Jawahar Sagar WLS	0 to 1 km	759.99	S.O. 4268(E) [25.11.2020]
9	Mt. Abu WLS	100 m to 6.08 km	125.15	S.O. 4047(E) [11.11.2020]
10	Nahargarh WLS	0 to 13 km	79.356	S.O. 1220(E) [08.03.2019]
11	Ramsagar WLS	0-1 km	27.5	S.O. 3632(E) [15.10.2020]
12	Sajjangarh WLS	250 M to 5 Km	28.7	S.O.435(E) [14.02.2017] & S.O. 107(07.01.2020)
13	Sitamata WLS	499 m to 3 Km.	172.45	S.O. 1191(E) [17.04.2017]
14	TodgarhRaoli WLS	500 m to 1 km	202.68	S.O. 1173(E) [13.04.2017]
15	Van Vihar WLS	1.5 Km to 5 Km	23.88	S.O. 938(E) [23.03.2017]
B. Number of draft notification issued (05)				
S.No.	**Proctected Area**	**Distance from PA boundary**	**ESZ Area (sq.km)**	**Draft Notification No.**
1	Kumbhalgah WLS	0 to 5 km	1001.01	S.O. 1960(E) [18.06.2020]
2	Ramgarh Vishdhari 303.43 sq.km	25 m to 400m	9.43	S.O. 4777(E) [30.12.2020]
3	Sariska WLS & Sariska "A" WLS	0 to km	208.96	S.O. 1049(E) [04.03.2021].Comments on objection send to MOEF by letter No.1203 dated 21.09.21
4	Shergarh WLS	1 km	58.06	S.O. 2868(E) [19.10.2015] Re Draft Notification S.O. 3361(E) [09.07.2018].Office letter 1213 dated 23.09.21 write to CCF & FD MHTR to send revised proposal.
5	Talchapper WLS	100 m to 3.4 km	19	S.O. 3721(E).(14.09.2021).Clearification on MOEF letter 05.12.2019 send by office letter 2809 dated 25.03.21 to GOR

C. Number of Proposal draft notification not issued (05)				
S.No.	**Proctected Area**	**Distance from PA boundary**	**ESZ Area (sq.km)**	**Status**
1	Desert National Park Sanctuary	0-157 km	5699	Proposal was submitted to MoEF&CC on 16.10.2018.MoEF&CC raised some queries dated 13.11.2018. Reply was submitted by DCF Wildlife Jaisalmer on 04.01.2019 but not complete. Meanwhile With the consent of Govt. of Rajasthan CWLW asked DCF Wildlife Jaisalmer to submit the revised proposal vide letter No. 1281 dated 17.09.2019 and 2260 dated 09.11.2020. Proposal yet to be submitted by DCF Wildlife Jaisalmer.
2	NCS Chambal Sanctuary	0 km	0	Proposals submitted in new format on 16.10.2018.Govt. of India asked to submit revised proposal in connection with comments of WII. CWLW asked DCF to submit revised proposal after consultation of NCS committee headed by ADG WL and other two states.Proposal to be submitted by DCF NCS Sawai Madhopur. On Dated 11.11.2020 and 22.05.2019 letter written to DCF for reply of points by GOI dated 15.03.2019.
3	Phulwari ki Nal WLS (511.41 sq.km)	1.00 km	230.6863	Draft Notification issued on 31.08.2015 (S.O. 2383)Proposals for re-notification submitted in new format on 16.10.2018. Pending at the level of MoEF&CC .MOEF & CC raised queries by letter dated 30.01.21.Send reply to GOR office letter 1239 dated 22.10.21
4	RNP, Sawai Madhopur WLS, Sawai Mansingh WLS & Keladevi WLS 1700.22 sq.km	0.05 m to 1 km	665.85	Proposals for re-notification submitted in new format on 27.11.2018. NTCA requested to submit original map of tiger reserve on 09 Sep. 2019 and 14.10.219.GOR has send the reply to MoEF & CC by letter dated 05.07.2021.MoEF & CC again raised queries on 15.10.2021.By office letter 1211 dated 23.09.2021 written to CCF & FD RTR to send revised proposal.

राज्य योजना में वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 (माह दिसम्बर) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

(रू. लाखों में)

क.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2019–20					वर्ष 2020–21					वर्ष 2021–22			
		आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर, 2021 तक)	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	55.13	45.13		14.75		45.13	66.13		52.30		98.13		12.19	
2	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण	2996.97	3118.88		2826.45		2562.76	2950.23		2675.12		10176.83		2940.61	
3	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थतिकी पर्यटन	447.17	224.57		191.40		246.82	269.68		217.07		264.76		146.76	
4	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	418.14	112.15		93.10	93.10	370.04	202.40	97.15	161.92	71.12	407.03	127.21	0.00	9.10
5	कृषि वानिकी	657.90	657.90		460.90		781.75	925.19		714.31		3760.01		1767.10	
6	बाघ परियोजना रणथम्भौर	2140.92	910.88	341.66	664.72	333.77	927.99	1646.95	264.28	1160.71	248.95	5691.10	841.05	1065.23	257.51
7	बाघ परियोजना सरिस्का	946.07	1093.12	433.52	659.79	360.51	946.07	2170.91	448.33	1185.20	595.50				
8	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	1509.78	1265.36	559.45	1010.32	506.08	1286.37	2308.99	247.97	1215.54	564.90	2623.53	1140.26	206.95	0.00
9	गोरधन ड्रेन	120.01	170.01		144.95		110.01	170.00		169.98		170.01		127.50	
10	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	114.00	120.00	94.15	102.41	39.61	120.00	200.00	3.16	83.83	31.50				
11	चिडियाघरों का सुधार	150.01	150.01	0.0	120.20	0.0	150.01	150.00		142.01		165.01	0.0	78.17	0.0
12	संचार एवं भवन	294.00	248.00		131.29		140.01	255.00		217.64		125.01		36.25	
13	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02	0.02	0.0	0.00	0.00	0.02	0.00		0		0.02	0.0	0.00	0.00
14	भाखडा नहर वृक्षारोपण	517.28	589.70		493.52		522.18	434.83		426.60		522.18		255.58	
15	गंगनहर वृक्षारोपण	153.51	153.51		118.85		153.51	153.51		150.46		153.51		112.27	
16	कैम्पा कोष	15.32	.01		0.0		0.01	0.00		0.00		0.01		0.0	
17	पर्यावरण वानिकी	233.50	315.75		230.05		275.00	345.30		247.69		275.00		140.84	
18	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	4860.00	3325.00		1197.66		1206.00	1800.00		1204.68		1060.01		1053.84	
19	राजीव गांधी बायोस्फीयर रिर्जव	0.01	.01		0.00		0.01	0.00		0		0.01		0.00	
20	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	100.00	50.00		22.27		50.00	200.00		180.61		400.00		0.26	
21	घना पक्षी विहार का विकास	144.63	114.63	25.97	49.66	10.62	115.00	114.30	12.66	78.72	10.91				

22	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	95.00	60.00		38.30		72.55	55.00		47.10		60.00		25.02	
23	साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण	20.00	14.00		9.37		20.00	10.00		6.82		20.00		3.72	
24	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	2004.96	1200.00		1036.06		574.92	3644.48		3291.31		7780.58		2775.27	
25	जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण	3275.26	3510.67		2855.31		3676.86	4388.16		3841.59		6508.35		2212.50	
26	जैविक उद्यान कायलाना	0.03	0.03		0.00		0.03	0.00		0		0.03		0.00	
27	पक्षी राहत केन्द्र	5.02	2.02		3.42		5.02	89.00		50.76		5.52		0.58	
28	राज्य वन विकास अभिकरण	255.25	319.41	0.00	259.41	195.25	230.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.05	0.00	0.00	57.15
29	अवैध खनन की रोकथाम	0.02	0.02		0.00		10.01	10.00		5.86		10.01		3.49	
30	जैविक उद्यान, बीकानेर	350.03	350.03		12.04		350.03	350.00		348.76		350.03		10.42	
31	वन धन योजना	125.00	7.10		4.32		0.02	0.00		0.00		0.02		0.00	
32	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	498.50	435.00	271.42	368.14	230.27	604.50	736.07	298.28	581.14	255.22				
33	टाईगर सफारी आमली	0.02	0.02		0.00		0.02	0.00		0		0.02		0.00	
34	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	0.01	0		0.00		0.01	0.00		0		0.00		0.00	
35	नाबार्ड पोषित जल सगरण परियोजना	0.02	0		0.00		0.02	0.00		0		0.00		0.00	
36	परम्परागत जल संसाधनों का रखरखाव	0.01	0.01		0.00		0.01	0.00		0		0.00		0.00	
37	वृर्षि वानिकी (पंचायती राज)	0.01	0		0.00		0.01	0.00		0		0.00		0.00	
38	आकल वुड फोसिल पार्क	150.00	0.01		0.00		0.01	0.00		0		0.01		0.00	
39	प्रोजेक्ट लेपर्ड	500.00	300.00		297.34		300.00	150.00		141.32		200.00		57.59	
40	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	200.00	200.00		176.22		200.00	200.00		155.53		220.00		152.66	
41	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	0.01	.01		0.00		46.03	46.03		31.05		15.35		1.46	
42	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी)	40.00	40.00	35.28	40.00	24.00	40.00	19.20	0.00	4.50	4.50	40.00	0.00	0.00	0.00
43	ग्रीन इडिया मिशन	0.02	0.02	0.00	0.00		0.02	0.00		0.00		0.02	0.00	0.00	
44	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	1190.00	1190.00		1049.20		1090.00	1061.00		1020.26		1061.00		667.34	
45	कैम्पा	10000.00	10000.09		8009.61		10000.07	24999.92		18644.33		30728.43		7426.04	
46	जूलीफ्लोरा का उन्मूलन ओर स्थानीय प्रजाति के पेडों का पौधारोपण	0.01	5.00		0.00		0.01	0.00		0.00		300.00		0.02	
47	पंचायत राज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थापना व्यय											1778.00		362.78	
	योग	**34583.55**	**30298.08**	**1761.45**	**22691.00**	**1793.21**	**27228.80**	**50122.48**	**1371.83**	**38454.72**	**1819.05**	**74969.59**	**2095.45**	**21642.40**	**323.76**

वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक कुल प्राप्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान की तुलना में माह दिसम्बर 2021 तक कुल प्राप्तियों का वर्षवार विवरण :–

(राशि लाखों में)

राजस्व मद 0406	कुल प्राप्तियां 2018–19	कुल प्राप्तियां 2019–20	कुल प्राप्तियां 2020–21	बजट अनुमान 2021–22	माह दिसम्बर 2021 तक कुल प्राप्तियां
101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	29.05	107.71	205.84	135.00	164.13
101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2964.85	1773.02	1428.14	3850.00	442.15
101–03–बांस में प्राप्तियां	288.15	306.75	386.41	550.00	230.41
101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	156.75	126.13	308.78	250.00	112.75
101–06–तेंदू पत्ता व्यापार योजना 01–तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	3477.27	1080.22	751.62	4000.00	3390.80
101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	52.30	13.78	30.03	30.00	20.61
800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1525.58	1877.78	1842.28	2000.00	1282.75
800–03–व्ययगत निक्षेप	0.10	-	0	1.00	0
800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	4.01	2.62	6.79	8.00	3.39
800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	446.56	491.20	408.01	880.00	1152.07
800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	1417.91	924.85	547.34	1244.00	423.96
050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	-	3.31	15.65	3.00	3.41
050–02–अनुपयोगी सामानों की निलामी से प्राप्तयां	9.14	2.35	4.26	3.02	7.84
02–111–01– चिड़ियाधर से प्राप्तियां	577.42	393.98	137.33	975.00	174.98
02–800–01– इको डवलपमेन्ट से आय	460.65	460.86	215.70	660.00	304.20
02–800–02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	1033.51	1061.72	238.83	1375.00	272.11
02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	41.82	45.88	33.35	80.00	41.85
02–800–04– रणथम्भोर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट	1548.20	1661.62	516.77	2100.00	557.66
02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट से आय	101.49	110.80	66.07	135.00	91.50
06–अन्य अभ्यारण्यों में प्रवेश शुल्क से आय	392.58	432.11	177.77	500.00	261.14
050–01–अनुपयोगी वाहनो के निस्तारण से प्राप्तियां	26.44	7.95	8.19	11.00	2.57
050–02–अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	22.65	16.84	20.01	10.00	5.10
महायोग	**14576.43**	**10901.48**	**7349.17**	**18800.00**	**8945.38**

वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	योजना / मद	ईकाई	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	
			उपलब्धियां	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2021 तक)
A	वानिकी					
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	43.55	45.43	45	22.32
ii	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	158.66	300	600	600
iii	भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	है.	421.67	238.83	379.10	379.10
iv	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	4100	3800	3000	3000
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	2810	4100	2900	2900
B	नाबार्ड					
	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	0	0	6200	6175
C	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना					
	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज –।। वृक्षारोपण	है.	0	0	0	0
D	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	है.	541	427.48	514.95	514.95
E	राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA)	है.	0	0	550	550
F	कैम्पा	है.	8632.83	12097.85	18323.52	18323.52

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20 2020–21 एवं 2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक) वृक्षारोपण सम्बन्धित जिलेवार उपलब्धि

क्र. सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)				रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखो में)			
		उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22 (दिसम्बर,2021)	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22 (दिसम्बर,2021)
1	अजमेर	910	1153	1211.704	1169.07	5.92	6.91	8.536	7.38
2	अलवर	1279	920	1592	1952.95	11.78	9.19	8.15	12.32
3	बांसवाड़ा	1030	1500	782.36	1248.98	6.31	7.52	4.137	6.41
4	बारां	2111	222	590.48	950.00	15.41	4.52	7.49	8.57
5	बाड़मेर	857	485	370.27	560.00	8.23	4.64	2.56	3.64
6	भरतपुर	165	200	729.32	724.97	0.82	1.86	5.51	4.92
7	भीलवाड़ा	500	1020	1278	1375.00	1.83	2.25	4.627	7.74
8	बीकानेर	739	571	1524.36	437.00	5.02	3.95	9.034	2.98
9	बून्दी	969	220	544.52	652.14	4.52	1.30	3.14	2.94
10	चित्तौड़गढ	2243	1358	1730.68	2083.48	14.34	3.92	9.83	8.17
11	चूरू	824	1024	1042	1246.00	3.79	4.35	4.596	5.93
12	दौसा	345	400	568	1100.90	1.62	1.10	3.17	4.44
13	धौलपुर	580	864	1042	2203.00	4.43	5.50	7.74	12.79
14	डूंगरपुर	1871	1412	710.198	866.87	10.81	9.19	6.221	7.67
15	श्रीगंगानगर	704	610	631.93	662.69	4.99	6.10	6.602	4.42
16	हनुमानगढ	752	608	992.13	1804.94	6.07	4.48	4.115	9.39
17	जयपुर	780	1321	1211.28	1850.00	3.26	10.66	7.873	8.45
18	जालौर	840	912	1355.38	1022.20	5.27	7.49	9.4	5.96
19	जैसलमेर	754	1728	1350.36	1752.00	4.40	10.59	10.91	10.52
20	झालावाड़	1010	734	753.55	781.21	5.30	8.60	9.13	5.44
21	झुन्झुनूं	1082	1188	1837	1870.02	6.49	7.13	12.076	12.53
22	जोधपुर	651	632	1021.46	2725.50	3.02	3.44	2.35	4.05
23	करौली	1110	308	923.42	962.00	5.28	1.87	5.06	6.77
24	कोटा	2121	500	735	1225.00	11.35	5.47	5.56	8.37
25	नागौर	335	237	989.12	1490.00	1.15	1.46	5.311	8.27
26	पाली	1357	783	776	1204.00	5.89	4.14	4.14	10.00
27	प्रतापगढ	2438	1127	650	1700.00	11.72	8.37	3.25	8.35
28	राजसमन्द	859	1150	495	445.00	4.08	1.48	4.033	1.85
29	सवाई माधोपुर	536	540	793.64	1460.00	1.77	2.58	3.98	7.05
30	सीकर	1351	1487	1434.107	1941.88	7.15	8.61	9.855	12.51
31	सिरोही	368	350	587.05	326.34	1.13	1.44	3.38	2.26
32	टोंक	260	212	1070.76	1147.00	4.25	1.95	7.66	8.95
33	उदयपुर	3067	2732	2188.24	3756.34	16.17	17.59	15.807	22.08
	कुल	**34798**	**28510**	**33511.32**	**44696.48**	**203.56**	**179.64**	**215.23**	**253.12**

विभिन्न न्यायालयों में विचारधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या (दिनांक 13.01.2022 की स्थिति अनुसार)
1	सर्वोच्च न्यायालय	30
2	राष्ट्रिय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)	9
3	उच्च न्यायालय जोधपुर	661
4	उच्च न्यायालय पीठ जयपुर	1081
5	सिविल सेवा अपील अधिकरण	198
6	अधीनस्थ न्यायालय	1887
7	अधिकरण न्यायालय	7
	योग	**3873**

नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व जन लेखा समिति की प्रतिवेदनो का विवरण निम्नानसार है:– ***परिशिष्ठ –9***

क्र. सं.	01.04.2019 को बकाया		निस्तारण 2019–20		01.04.2020 को बकाया		निस्तारण 2020–21		01.04.2021 को बकाया		01.04.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त		31.12.2021 को बकाया	
सी.ए.जी प्रति	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा
	1	1	1	1	1	4	–	2	5	14	2	15	5	24
पी.एसी प्रति	5	60	–	5	5	55	1	14	7	40	1	–	3	18
ड्राफ्ट पैरा	2	3	–	1	–	2	–	2	–	1	–	2	–	2
तथ्यात्मक विवरण	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–

महालेखाकार प्रतिवेदनो एवं आक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	01.04.2018को बकाया		निस्तारण 2018–19		01.04.2019को बकाया		निस्तारण 2019–20		01.04.2020को बकाया		निस्तारण 2020–21		31.12.2021तक लम्बित	
महालेखाकार के आक्षेप	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा
	367	1414	16	148	370	1620	14	131	349	1674	32	329	418	1825

15 वीं राजस्थान विधानसभा संबंधित वन विभाग से सत्रवार पूछे गये प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्रेषित किये जाने के क्रम में प्रगति विवरण (दिनांक 25.01.2022 तक)

विधान सभा/ सत्र संख्या	प्राप्त प्रश्नों/प्रस्तावों/आश्वासनों की संख्या	विधान सभा को प्रेषित जवाब की संख्या	राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित जवाब की संख्या	विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन जवाब की संख्या
(अ) तारांकित/अतारांकित एवं अंतःसत्र में पूछे गये प्रश्न				
सत्र–1	30	30	0	0
सत्र–2	131	131	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	132	132	0	0
सत्र–5	30	30	0	0
सत्र–6	154	150	3	1
योग	**477**	**473**	**3**	**1**
(ब) विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन नियम 131/295 /97 अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव				
सत्र–1	3	3	0	0
सत्र–2	16	16	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	28	28	0	0
सत्र–5	3	3	0	0
सत्र–6	21	16	1	4
योग	**71**	**66**	**1**	**4**
(स) आश्वासन की क्रियान्विति				
सत्र–2 (2019)	6	6	0	0
सत्र–4 (2020)	6	5	1	0
सत्र–6 (2021)	11	7	1	3
योग	**23**	**18**	**2**	**3**

नोटः 14 वीं राजस्थान विधानसभा (सत्र–1 से सत्र–11 तक) में वन विभाग से संबंधित प्राप्त समस्त 767 प्रश्नों के प्रत्युत्तर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।

Distribution Status of Kits Under GGAY as on 24.01.2022						
Circle	**Division**	**Target**	**Stock**	**Distribution of kits**	**No.of plants distributed**	**% Distribtion**
CCF Ajmer	Ajmer	1966260	1985048	245783	1966264	100
	Bhilwara	1983617	1723588	247952	1983616	100
	Tonk	1062196	1188416	132775	1062200	100.01
	Nagaur	2305076	1198896	288161	2305288	100
	Total	**7317149**	**6095948**	**914671**	**7317368**	**100**
CCF Bikaner	Bikaner	623941	518500	81812	654496	104.9
	Churu	1391600	1440464	177464	1419712	102.02
	Hanumangarh	1339712	1212322	168139	1345112	100.4
	SriGanganagar	1540896	1421769	205873	1646984	106.88
	IGNP-II Bikaner	454545	556210	56510	452080	99.46
	Chhatargarh	454545	320000	58031	464248	102.13
	Total	**5805239**	**5469265**	**747829**	**5982632**	**103.06**
CCF Udaipur	Banswara	1466728	900000	183487	1467896	100.08
	Chittorgarh	1310008	1621391	163751	1310008	100
	Dungarpur	1122344	1235578	140293	1122344	100
	Pratapgarh	712936	514534	89258	714064	100.16
	Rajsamand	968012	1015000	121019	968152	100.01
	Udaipur	1280000	1366290	160000	1280000	100
	Udaipur(North)	1204772	1205782	150597	1204776	100
	Total	**8064800**	**7858575**	**1008405**	**8067240**	**100.03**
CCF Kota	Kota	1572924	1576218	211402	1691216	107.52
	Baran	959540	1179554	126919	1015352	105.82
	Jhalawar	1129224	811804	143509	1148072	101.67
	Bundi	878084	633790	109761	878088	100
	Total	**4539772**	**4201366**	**591591**	**4732728**	**104.25**
CCF Bharatpur	Bharatpur	1698444	1428205	214511	1716088	101.04
	Dholpur	813524	895000	101691	813528	100
	Sawai Madhopur	1014828	862518	127363	1018904	100.4
	Karauli	1045696	1146268	130713	1045704	100
	Total	**4572492**	**4331991**	**574278**	**4594224**	**100.48**
CCF Jodhpur	Barmaer	1802496	462500	246192	1969536	109.27
	Jaisalmer	284305	180436	34393	275144	96.78
	Jalore	1299952	1077774	163573	1308584	100.66
	Jodhpur	2574712	2598062	324163	2593304	100.72
	Sirohi	803392	768023	103619	828952	103.18
	Pali	1666032	1832700	208591	1668728	100.16
	IGNP-II Jaisalmar	181818	193000	22982	183856	101.12
	Total	**8612707**	**7112495**	**1103513**	**8828104**	**102.5**
CCF Jaipur	Jaipur	2339446	3848529	317454	2539632	108.56
	Jaipur(North)	2339446	790000	301635	2413080	103.15
	Sikar	1772172	1260240	223453	1787624	100.87
	Dausa	1164804	1265270	146101	1168808	100.34
	Jhunjhunu	1531024	1701126	210517	1684136	110
	Alwar	2546640	2802435	333473	2667784	104.76
	Total	**11693532**	**11667600**	**1532633**	**12261064**	**104.82**
	Grand Total	**50605692**	**46737240**	**6472920**	**51783360**	**102.33**

हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।